

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 856/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

Father's Name- N A

Address-PARIVAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL MARG PATNA BIHAR
800001

Mob. 7322936339

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PP5814 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PP5814	BR2023-SC-0833A	10/03/2028	02/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/05/2024	NA	25/06/2024	02/12/2022

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 857/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

BARUN PRAKASH PANDEY

Father's Name- AJAY KUMAR PANDEY

Address-SHYAMPUR ADAPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 8002419496

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE1398** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE1398	BR/106/SC/BU S/2019/55	12/12/2024	28/02/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	45646	29/01/2025	04/03/2023

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में **VLTD (Vehicle Location Tracking Device)** स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 858/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SAVITRI MISHRA

Father's Name- SRI UDAY KR.MISHRA

Address-CHHAKAR ROAD KAZIMOHAMADPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9473212139

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5039** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5039	BR/106/SC/281 /2006	21/12/2026	28/09/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/02/2024	45148	30/11/2023	10/08/2023

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 859/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

VALISTAR SHARMA

Father's Name- RAMASHISH SHARMA

Address-NAWALPUR BETIA W.CHAMPARAN PASHCHIM CHAMPARAN

BIHAR 845405

Mob. 9801078112

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P8872 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8872	BR2023-SC-3151A	02/11/2028	11/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/04/2024	45535	06/04/2024	29/09/2023

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 860/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MINI DEVI

Father's Name- LATE RAMESH KUMAR

Address-HARIDASPUR KANTI MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. 9470701096

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA5421** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5421	BR2023-SC-1855A	03/07/2028	25/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/02/2024	45694	03/01/2025	28/10/2023

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में **VLTD (Vehicle Location Tracking Device)** स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाइम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाइम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 861/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RAJEEV RANJAN

Father's Name- S/O ANIRUDH PD JAYSWAL

Address-BHAVANIPUR JIRAT TOWN VILL MOTIHARI ANCHAL MOTIHARI
E CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. 8051610999

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB2596 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB2596	0290/2013	03/07/2028	08/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/05/2024	45349	16/10/2024	28/10/2023

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 862/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

AMBIKA TRAVELS

Father's Name- PR.CHANDRABHANU SING

Address-AKHARAGHAT SEKHPUR AHYAPUR MUZ MUZAFFARPUR BIHAR
842001

Mob. 7091011236

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA0236 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PA0236	0475/2013	06/10/2028	05/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	45541	03/04/2024	28/10/2023

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 863/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RAVI SHANKAR SINGH

Father's Name- S/O NARAYAN SINGH

Address-AT SHEKHPUR AKHARAGHAT MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 7091011236

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB2136 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PB2136	BR2022-SC-1044A	29/04/2027	28/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/04/2024	45647	03/10/2024	28/10/2023

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 864/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SURESH KR

Father's Name- S/O LT YAMUNA PRASAD

Address-AT+PO- HARIDASPUR .PS- KANTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 9939283145

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA5621 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5621	000146/2014	29/09/2024	25/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/03/2024	45453	13/04/2024	28/10/2023

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 865/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

ARUN KUMAR MISHRA

Father's Name- LT.INDRADEO MISHRA

Address-S/O N P SRIVASTAVA MUZAFFARPUR BIHAR MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mob. 9835208980

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P8889 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8889	BR2022-SC-0821A	15/04/2027	28/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	45589	13/08/2024	03/11/2023

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 866/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

NARENDRA K.SINGH

Father's Name- LR.S.P.NR.SINGH

Address-SUNDARPUR KESARIA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845405

Mob. 9835045648

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P4792 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4792	217/2019	23/04/2024	21/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/03/2024	45221	16/04/2023	03/11/2023

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 867/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SANGEETA JAISWAL

Father's Name- W/O ARVIND KUMAR

Address-AT DHAKA RAMCHANDRA PO PS DHAKA E CHAMPARAN PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. 8051616661

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB1396 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PB1396	BR/106/SC/373 /2012	30/08/2027	25/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	45359	19/09/2024	09/11/2023

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 868/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MITHILESH KR.MISHRA

Father's Name- LT.HEMKANT MISHRA

Address-SAHWAJPUR RIGA SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 845401

Mob. 9934888543

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4137** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4137	484/2019	15/09/2024	03/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	44477	29/11/2023	16/11/2023

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 869 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUMAN DEVI

Father's Name- KAILASH MISHRA

Address-AT- BHERIYAH I SOTI HARSADPUR MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. 8271039940

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA9896 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR31PA9896	BR2021-SC-0126A	01/02/2026	01/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	05/03/2024	01/02/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 870 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MENKA SHARMA (U/LA B.S.R.T.C.)

Father's Name- W/O AJAY KUMAR SHARMA

Address- WARD NO 11 RAJPOTTI CHAKMAHILA CHAKMAHILA BRANCH
POST OFFICE CHAKMAHILA DUMRA TLK SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. 8789040211

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA4481 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR30PA4481	BR2023-SC-1600A	01/06/2028	03/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/05/2024	01/05/2024	08/04/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 871 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

AJAY KUMAR

Father's Name- DHARIKSHAN RAY

Address-DHARAMPUR DHARAMPUR MUZAFFARPUR BIHAR 843117

Mob. 8521986961

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE7270 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE7270	BR2023-SC-0676A	01/03/2028	12/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	12/06/2024	09/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 872 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHASHIKANT TIWARI

Father's Name- NAWAL KISHOR TIWARI

Address-ADD JITWARPUR PIPRA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845419

Mob. 7385061390

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF2497 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF2497	BR2023-SC-0689A	01/03/2028	16/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/11/2023	01/11/2023	30/12/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 873 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

CHANDAN KUMAR

Father's Name- KUMOD SINGH

Address-ADD JAFARABAD TOLA VIRNDAWAN KHANJAHAN CHAK URF
SAIDENPUR VAISHALI BIHAR 844121

Mob. 7004703026

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF9951 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF9951	BR2023-SC-0686A	01/03/2028	04/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2024	24/04/2024	05/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 874 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SATYENDRA KUMAR

Father's Name- S/O SATAN RAY

Address-VILL+PO- JALALPUR VAISHALI HAJIPUR VAISHALI BIHAR
844101

Mob. 9801102952

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31P2477 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR31P2477	BR/106/SC/636 /2011	01/10/2026	10/07/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	15/02/2022	11/08/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 875 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MANJU DEVI

Father's Name- W/O- SRI ABHINANDAN PRASAD

Address-AT- 526, DHAKA RAM CHANDRA P.O+P.S- DHAKA PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845418

Mob. 9006380444

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF5396 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5396	BR/106/SC/167 /2012	02/04/2027	27/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/04/2024	21/07/2024	25/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 876 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR YADAV

Father's Name- CHANDESHWAR RAI

Address-BIBIGANJ BHAGWANPUR SADAR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 7004799500

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD4723 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD4723	BR2023-SC-1036A	02/04/2028	22/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	02/03/2024	05/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 877 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ABINASH KUMAR

Father's Name- LATE SACHIDA NAND PRASAD SINGH

Address-VILL-POST-CHANDPURA VIA BIDUPUR PS-BIDUPUR VAISHALI
BIHAR 844502

Mob. 9279318317

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PL4469 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PL4469	BR2023-SC-0421A	02/02/2028	11/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/03/2024	06/04/2024	04/01/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 878 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PRASHANT KUMAR

Father's Name- BHAGAVAN RAY

Address-AT+PO-SAHDULLAHPUR PS-GANGA BRIGZG VAISHALI BIHAR
844101

Mob. 9771044409

विषय:- आपके वाहन संख्या BR51P1550 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR51P1550	BR2022-SC-1260A	02/06/2027	06/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/03/2024	23/02/2025	05/04/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 879 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR

Father's Name- CHANDRA BHUSHAN SINH

Address-PAHADPUR PAHADPUR E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 999999

Mob. 7800000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P4871 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4871	BR2021-SC-0424A	02/03/2026	20/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/04/2024	09/06/2021	21/11/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 880 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PRAMOD KUMAR SINGH

Father's Name- BHARAT BHUSHAN SINGH

Address-AT- JHAKHARA JHAKHARA PIPRA PURBA CHAMPARAN BIHAR
845429

Mob. 9431288788

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB6156 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB6156	BR2023-SC-0707A	02/03/2028	24/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2024	30/05/2024	03/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 881 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

Father's Name- S/O LATE CHANDESHWAR SINGH

Address-VILL PO CHAHUTA PS AAURAI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 842001

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8743 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8743	BR2023-SC-0709A	02/03/2028	14/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	21/11/2023	19/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 882 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VIKASH KR SINGH

Father's Name- S/O JALANDHAR SINGH

Address-VILL BATRAULIYA PO BAKHRA PS SARAIYA MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8752 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PC8752	BR2023-SC-0710A	02/03/2028	14/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	16/06/2024	21/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 883 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PREM KUMAR CHOUDHARY

Father's Name- RAMANAND CHOUDHARY

Address-BADHAI TOLA PURANI MAI ASTHAN MARIPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 842001

Mob. 9334900106

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8052 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8052	BR2023-SC-0706A	02/03/2028	29/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/02/2024	24/03/2024	05/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 884 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AMAR JYOTI CARIERS PVT LTD

Father's Name- NA

Address-UMA MARKET MOTIJHEEL MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842002

Mob. 9334907061

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF4351 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF4351	BR2021-SC-2604A	02/11/2026	05/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2024	21/04/2024	29/04/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 885 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VISHWAJIT MISHRA

Father's Name- RANJEET KUMAR MISHRA

Address- WARD NO 10 RASULPUR JILANI NEAR KIDZEE SCHOOL

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 800001

Mob. 9708186777

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD0039 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD0039	BR2023-SC-3148A	02/11/2028	28/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/04/2024	31/08/2024	05/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 886 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ALOK KUMAR PANDEY

Father's Name- S/O -RAMEKBAL PANDEY

Address-AT-PAKDI DUMARIYA DIST-EAST CHAMPARAN MOTIHARI
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845423

Mob. 7301285252

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA3844 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR05PA3844	BR2021-SC-0150A	03/02/2026	06/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	22/02/2025	12/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 887 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VIJAY KR SHUKLA

Father's Name- S/O LT RAMDAS SHUKLA

Address-AT NAYA TOLA PS KAZIMDPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 999999

Mob. 8000000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC7451 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC7451	BR2021-SC-0142A	03/02/2026	10/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	27/10/2023	11/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 888 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHATRUDAN THAUR

Father's Name- LT.RAMASHISH THAKUR

Address-MADHAUL KUDHANI MUZAARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

999999

Mob. 8510000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P4140 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4140	BR2020-SC-0011A	03/01/2025	23/11/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	02/01/2021	09/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 889 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

CHANRA BHUSHAN SINGH

Father's Name- S/O -LT. BALRAM SINGH

Address-RAJIV KUMAR AT-BELBAGH PO/PS-BETTIAH BETTIAH

PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. 7261090094

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22M7071 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR22M7071	BR2020-SC-0010A	03/01/2025	11/05/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/02/2024	09/05/2023	21/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 890 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NILU KUMARI

Father's Name- W/O KAUSHAL KISHOR TRIPATHY

Address-DAMUCHOWK MUSAHRI MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9905879945

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD8691 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD8691	BR2023-SC-0740A	03/03/2028	28/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/01/2024	11/05/2024	17/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 891 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

DEVENDRA KUMAR

Father's Name- S/O DHRUR NATH PRASAD

Address-AKHILESH VERMA GALI BANK ROAD MOTIHARI BHAWANIPUR
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 9162658598

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9826 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9826	BR2023-SC-0746A	03/03/2028	06/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/03/2024	10/10/2024	07/12/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 892 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SAHIL SINGH

Father's Name- S/O LAXMAN SINGH

Address- WARD NO 05 SITAB DIYAR DHANAHA PASHCHIM CHAMPARAN
BIHAR 845404

Mob. 8924080871

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE6488 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE6488	BR2023-SC-0755A	03/03/2028	17/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/04/2024	12/02/2025	05/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 893 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SAHIL SINGH

Father's Name- LAKSHAMAN SINGH

Address- WARD NO 05 SITAB DIYAR DHANAHA PASHCHIM CHAMPARAN
BIHAR 845404

Mob. 8924080871

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF3081 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF3081	BR2023-SC-0745A	03/03/2028	16/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/02/2024	10/01/2025	14/04/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 894 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VISHUTI NARAYAN RAY

Father's Name- S/O RAJDEO RAY

Address-DAKSHIN TELHUA WARD NO 8 TELUA PASHCHIM CHAMPARAN
BIHAR 845459

Mob. 7004703026

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22PA1131 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22PA1131	BR2023-SC-0766A	03/03/2028	02/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/02/2024	29/01/2025	05/02/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 895 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RITI KUMARI

Father's Name- W/O SUDHANSHU KUMAR

Address-AT VILL PO SARAI SAYED ALI LANE MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 0

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB7075 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB7075	258/2019	03/09/2024	07/06/2017

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/07/2017	21/04/2019	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 896 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RITI KUMARI

Father's Name- W/O -SUDHANSHU KUMAR

Address-VILL/PO-SARAI SAYED ALI LANE MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 0

विषय:- आपके वाहन संख्या BR55A5575 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR55A5575	259/2019	03/09/2024	24/05/2017

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/09/2017	04/04/2016	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 897 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

POONAM DEVI

Father's Name- W/O MANOJ KUMAR YADAV

Address-AT-BIBIGANJ BHAGWANPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mob. 9431266337

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD1125 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD1125	BR2023-SC-1042A	04/04/2028	01/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/03/2024	02/03/2024	25/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 898 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

UDAY SINGH

Father's Name- S/O LT KAMAL SINGH

Address-AT PO PURWA MATHIYA PS CHANPATTIYA W CHAMPARAN

PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. 7004703026

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06GB3178** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06GB3178	BR2023-SC-1895A	04/07/2028	24/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/04/2024	25/04/2024	19/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में **VLTD** (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।**

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 899 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

GUPTA TRANSPORT COMPANY

Father's Name- NA

Address-PANDEY PALZA EXHIBITION ROAD PATNA PATNA BIHAR
800001

Mob. 9334902252

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9451 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9451	0309/2013	04/07/2028	14/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/02/2024	28/04/2024	20/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 900 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BARUN PRAKASH PANDEY

Father's Name- AJAY KUMAR PANDEY

Address-AT- SHYAMPUR EAST CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845301

Mob. 6205487033

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF4198 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF4198	BR2023-SC-1898A	04/07/2028	05/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/05/2024	13/06/2024	03/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 901 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

JITENDRA KR RAY

Father's Name- S/O SATTAN RAY

Address-AT- JALALPUR PO- JALALPUR PS LALGANJ VAISHALI BIHAR
999999

Mob. 7004799500

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31P9691 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR31P9691	BR2023-SC-1887A	04/07/2028	16/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/05/2024	07/12/2024	22/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 902 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AMARTYA KUMAR

Father's Name- S/O DUSHYANT KUMAR SINGH

Address- WARD NO 12 VILL KHAIRWA PO MANIYARI PS SITMARHI
SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. 9534688703

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8609 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE8609	BR2021-SC-0482A	04/03/2026	27/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2024	26/10/2024	05/04/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 903 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AMRESH KUMAR

Father's Name- S/O THAKUR RAJKISHOR SHARMA

Address-H NO-19 MOH DAMUCHAK DAMUCHAK MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 6299921802

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC9591 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9591	238/2019	05/06/2024	03/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/11/2021	21/09/2022	26/03/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 904 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NAND KISHOR SINGH

Father's Name- S/O LT YODUNANDAN SINGH

Address-AT MARWA PAKAR CHAUBE AMBARA SARAIYA

MUZAFFARPUR BIHAR 843101

Mob. 9431007611

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC5879 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC5879	0193/2008	05/06/2028	16/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/05/2024	09/06/2024	02/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 905 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHYAM SUNDER SINGH

Father's Name- S/O -LATE UMESH CHANDRA SINGH

Address-AT-PAHARPUR PO-PS-PAHARPUR DIST- E CHAMPARAN

MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 9939290393

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05P4389 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P4389	BR2021-SC-0498A	05/03/2026	03/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/05/2024	11/01/2022	03/01/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 906 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AMARTYA KUMAR

Father's Name- S/O DUSHYANT KUMAR SINGH

Address- WARD NO 12 VILL KHAIRWA PO MANIYARI PS SITAMARHI

SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. 9534688703

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8610 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE8610	BR2021-SC-0504A	05/03/2026	27/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2024	10/08/2023	30/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 907 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SAKET BIHARI

Father's Name- S/O LATE RAM ANUGRAH SINGH

Address-AT KANKARBAGH PS CHANDMARI ROAD PATNA PATNA BIHAR
999999

Mob. 7143546478

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PH9422** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH9422	0312/2014	05/11/2024	25/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/04/2024	27/02/2024	20/12/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 908 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MANISH KUMAR U/T BSRTC

Father's Name- S/O- DEVENDRA KUMAR SINGH

Address-AT- MUKUT NIWAS, CHANDMARI ROAD LOHIYA

NAGAR, KANKARBAGH PATNA BIHAR 800020

Mob. 9431476758

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PK9422 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PK9422	BR/106/SC/315 /2014	05/11/2024	19/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/05/2024	09/11/2023	15/12/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 909 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VARTIKA SINGH

Father's Name- CHANDAN KUMAR SINGH

Address-MAIN ROAD RAXAUL MAHADEVA MARKET NEAR BATA SHOW ROOM RAJ COMMUNICATION PURBA CHAMPARAN BIHAR 845305

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR03PA9309 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR03PA9309	BR2023-SC-2884A	05/10/2028	11/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	16/08/2024	26/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 910 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ALOK RANJAN JHA

Father's Name- S/O -RAM BHAJAN JHA

Address-AT- BEL PS- BAIRGANIYA SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843313

Mob. 9097372857

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA4751 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR05PA4751	277/2019	05/09/2024	18/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/03/2024	02/02/2025	05/02/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 911 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NARESH KUMAR

Father's Name- NAND LAL SAHANI

Address-NAYA TOLA SPEAKER CH KAZIMAHMADPUR MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 8900000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P5153 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P5153	290/2019	05/09/2024	22/11/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/10/2022	22/11/2021	07/02/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 912 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VIJAY KR SHUKLA

Father's Name- S/O RAMDAS SHUKLA

Address-KHANJAHAN CHAK KHANJAHAN CHAK URF SAIDVPUR

LALGANJ VAISHALI BIHAR 844121

Mob. 9470000001

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD8651 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD8651	295/2019	05/09/2024	19/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	18/02/2025	14/12/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 913 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VISHWAJEET KUMAR SHAHI

Father's Name- S/O AURN KUMAR SHAHI

Address-ANANT KAMTAUL MUZ MUZAFFARPUR BIHAR 844120

Mob. 8102000003

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9851 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9851	292/2019	05/09/2024	08/09/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/05/2024	06/09/2022	14/12/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 914 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MUKESH SHARMA

Father's Name- LATE RAMBRIKSH RAY

Address-KHABRA SADAR MUZAFFARPUR BIHAR 843146

Mob. 9955410359

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE5268 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE5268	266/2019	05/09/2024	14/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/03/2024	17/01/2024	03/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 915 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

USHA KUMARI

Father's Name- LT SUDHIR CHANDRA MISHRA

Address-AT-MADHURAPUR PO-MADHURAPUR VAISHALI VAISHALI

BIHAR 803236

Mob. 9661732343

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31AD9107 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31AD9107	280/2019	05/09/2024	16/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024		15/12/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 916 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VISHWANATH KR SINGH

Father's Name- S/O SIKANDAR SINGH

Address-AT 130 BAKHRA ANCHAL SARAIYA MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 8789541678

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC5318 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC5318	BR2023-SC-2520A	05/09/2028	19/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/03/2024	15/03/2024	23/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 917 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

KANCHAN KUMARI

Father's Name- DHIRAJ KUMAR

Address-WARD NO 20 BHAWANIPUR ZIRAT MOTIHARI PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 7004703026

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF3435 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF3435	BR2023-SC-2514A	05/09/2028	15/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/03/2024	27/03/2024	22/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 918 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MENKA SHARMA (U/LA B.S.R.T.C.)

Father's Name- W/O AJAY KUMAR SHARMA

Address- WARD NO 11 RAJPOTTI CHAKMAHILA CHAKMAHILA BRANCH

POST OFFICE CHAKMAHILA DUMRA TLK SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. 8789040211

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA4482 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR30PA4482	BR2023-SC-2528A	05/09/2028	03/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/05/2024	01/05/2024	09/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 919 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NISHANT CHANDRA

Father's Name- S/O- LATE DHARMENDRA PRASAD

Address-AT- KOLHACHAK DHANARUA SAIN PATNA BIHAR 804451

Mob. 7004799500

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PN8951 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PN8951	BR2023-SC-2230A	06/08/2028	02/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/10/2023	14/02/2024	15/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 920 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RENU SHARMA (U/L.A BSRTC)

Father's Name- W/O AWDESH KUMAR SHARMA

Address-VILL PO KUAMA VIA PARSOUNI SHEOBH BIHAR SHEOHAR

BIHAR 313603

Mob. 7301822348

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA3391 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR30PA3391	BR2022-SC-0042A	06/01/2027	02/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	22/02/2025	30/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 921 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

PRAVANJAN KUMAR THAK

Father's Name- CHNADRA SHEKHAR THAK

Address-BHAWANIPUR JIRAT MOT BHAWANIPUR E.CHAMPARAN

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 8051610661

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06E5996 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06E5996	0223/2014	06/10/2024	03/06/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/03/2024	10/02/2022	03/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 922 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ANIL KUMAR SINHA

Father's Name- LT HARINANDAN PRASAD SHRIVASTVA

Address-CHRISHAN QUARTER NEAR SAINT TERESA BALIKA UCHCHA

VID BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. 9430987114

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22PA4672 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22PA4672	BR2021-SC-2154A	06/10/2026	09/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	26/10/2024	19/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 923 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

CHANDRA BHUSHAN SHARMA

Father's Name- S/O RAM MANOHAR PANDAY

Address-C/O BIJAY KUMAR JHA D-92, PC COLONY, KANKARBAGH PATNA
PATNA BIHAR 999999

Mob. 9162857219

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PA7543** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PA7543	308/2019	06/09/2024	12/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	28/02/2022	21/08/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 924 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

DHARMENDRA SINGH

Father's Name- S/O HARENDRA PD SINGH

Address-NILAM BHAWAN, JAGAT NARAYAN ROAD, KADAMKUAN

PATNA BIHAR 800003

Mob. 9334311360

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PF7752 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PF7752	068/2019	07/04/2024	11/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/06/2023	02/12/2022	05/08/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 925 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RITU SHARMA

Father's Name- W/O RANVEER KUMAR

Address-MATHIA JIRAT CHHATAUNI MOTIHARI PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845401

Mob. 9471480440

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA8040 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA8040	048/2019	07/04/2024	07/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/04/2024	20/02/2024	02/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 926 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VINA DEVI

Father's Name- W/O VIJAY SINGH

Address-HARDIYABAD DAMODARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR
845401

Mob. 7739982636

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA8734 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA8734	052/2019	07/04/2024	18/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2024	26/08/2024	23/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 927 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ASHOK KUMAR

Father's Name- S/O RADHA MOHAN MAHTO

Address-VILL-GENHARA PO-JAMUNIYA PS-SAHODRA E.CHAMPARAN
PURBA CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. 8294352111

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P3110 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P3110	076/2019	07/04/2024	18/02/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	08/02/2023	14/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 928 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SANJEEV KUMAR

Father's Name- S/O HARI KUMAR SINGH

Address-VILL SARIYA BAZAR POSARIYA PS PAROO O P DEPRIA

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 8900000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA6551 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA6551	017/2019	07/04/2024	14/12/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/07/2022	13/12/2021	15/09/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 929 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VIJAY KR SHUKLA

Father's Name- S/O LT RAM DAS SHUKLA

Address-AT NAYA TOLA SPEAKAR CHOWK PO HPO PS KAZIMDPUR
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9470000001

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC9451 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9451	014/2019	07/04/2024	06/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/05/2024	29/01/2024	11/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 930 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PRANAY KR THAKUR

Father's Name- S/O KRISHNA NANDAN THAKUR

Address-AT SAHWAZPUR PO BHIKANPUR PS AHYAPUR MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 8989000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC9601 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9601	002/2019	07/04/2024	01/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/02/2024	11/12/2024	15/12/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 931 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VIJAY KUMAR SHUKLA

Father's Name- S/O LATE RAM DAS SHUKLA

Address-NAYA TOLA SPEAKER CHOWK NAYA TOLA SPEAKER CHOWK
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9470000001

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD7951 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7951	007/2019	07/04/2024	14/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2024	03/03/2024	11/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 932 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

KHUSHBU KUMARI

Father's Name- W/O VIKASH KUMAR

Address-BEHIND SHARMA HOTEL RAJENDRA NAGAR MOTIHARI PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 9973035070

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9606 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9606	029/2019	07/04/2024	11/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/11/2024	02/08/2024	19/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 933 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VIJAY KUMAR SHUKLA

Father's Name- LATE RAMDAS SHUKLA

Address-AT KHANJAHAN CHAK URF SAIDENPUR PS LALGANJ

MUZAFFARPUR BIHAR 844121

Mob. 8579965811

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF5551 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5551	015/2019	07/04/2024	23/11/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/02/2023	06/12/2022	28/04/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 934 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AASLAISHA

Father's Name- W/O NISHANT KUNAL

Address-RAJIV NAGAR RD NO 23 PO- KESARI NAGAR PS DIGHA PATNA
PATNA BIHAR 999999

Mob. 8935859006

विषय:- आपके वाहन संख्या JH05AH3859 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
JH05AH3859	070/2019	07/04/2024	22/06/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/02/2024	31/05/2024	16/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 935 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MR VIBHUTI NARAYAN RAI

Father's Name- LATE RAJDEO RAI

Address-TELHUA WARD 8 TELHUA MUZAFFARPUR BIHAR 845459

Mob. 7004703026

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF2079 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2079	BR2022-SC-0286A	07/02/2027	27/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/09/2023	17/06/2024	04/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 936 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUSHILA DEVI

Father's Name- W/O -VIJAY KUMAR

Address-A/P-DAHIYAWAN SARAN BIHAR 841301

Mob. 9661012771

विषय:- आपके वाहन संख्या BR04J2664 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04J2664	BR2021-SC-1006A	07/06/2026	11/07/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/03/2024	04/02/2022	03/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 937 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAJEEV RANJAN

Father's Name- ANIRUDH PRASAD JAYSWAL

Address-BHAGWANIPUR ZIRAT BHAGWANIPUR ZIRAT PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 9472699296

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9996 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD9996	BR2021-SC-1007A	07/06/2026	05/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/03/2024	21/02/2025	16/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 938 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MANJU DEVI

Father's Name- ARUN KUMAR SINGH

Address-MAJHOLIYA SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR
842001

Mob. 9334910038

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P9345 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P9345	00252/2014	07/10/2024	16/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	12/12/2023	22/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 939 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PREM KR CHOUDHARY

Father's Name- S/O RAMA NAND CHOUDHARY

Address-67 MARIPUR MUSHHARI FARM MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 842001

Mob. 7654324550

विषय:- आपके वाहन संख्या JH01T9550 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
JH01T9550	00244/2014	07/10/2024	03/11/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/10/2022	07/03/2022	24/01/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 940 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SABITA DEVI

Father's Name- RAVINDRA SINGH

Address-SISWA PAHARPUR PAHARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR
845401

Mob. 8292713018

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05P5381 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P5381	344/2019	07/09/2024	28/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/04/2024	22/01/2023	07/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 941 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

PUNAM DEVI

Father's Name- W/O MANOJ KR YADAV

Address-AT BIBIGANJ BHAGWANPUR ABDULNAGAR URF MADHOPUR
MUSHAHARI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9431266337

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD0621 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD0621	328/2019	07/09/2024	01/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/04/2024	02/03/2024	04/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 942 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BINAY KUMAR

Father's Name- S/O LATE DEO NANDAN PRASAD SINHA

Address-AT 64E RAJENDRA NAGAR PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. 8898989000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD4221 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD4221	317/2019	07/09/2024	11/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/07/2024	15/09/2024	07/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 943 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BINAY KUMAR

Father's Name- S/O LATE DEO NANDAN PRASAD SINHA

Address-AT 64E RAJENDRA NAGAR PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. 8989890000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD4321 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD4321	316/2019	07/09/2024	11/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/07/2024	15/09/2024	26/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 944 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

KAMLESH KUMAR

Father's Name- YOGENDRA RAY

Address-AT+PO- TAJ PUR PS+DIS- SAMASTIPUR BIHAR 848130

Mob. 9470929469

विषय:- आपके वाहन संख्या BR11T9042 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR11T9042	331/2019	07/09/2024	22/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2024	15/04/2024	01/12/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 945 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RITU SHAMRA

Father's Name- RANVEER KUMAR

Address-MADHAUL PO SUSTA MADHOPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. 9835247340

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF2740 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2740	BR2021-SC-0483A	04/03/2026	31/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/05/2024	14/01/2022	15/01/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 946 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MAHIP KUMAR

Father's Name- LT RAM NARAYAN SINGH

Address-AT-MAHAMDPUR PO-MAHAMDPUR PS-DAMODAR SAKRA

MUZAFFARPUR BIHAR 801245

Mob. 9006581351

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9311 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9311	561/2019	04/11/2024	06/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	30/07/2024	01/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 947 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAJENDRA PRASAD

Father's Name- S/O LT LAXMI PRASAD

Address-PATAURA LAL TOLA MOTIHARI E CHAMPARAN PASHCHIM
CHAMPARAN BIHAR 843111

Mob. 8656569565

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P5960 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5960	00215/2014	04/10/2024	15/03/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	15/03/2022	22/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 948 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAJENDRA PD

Father's Name- S/O LAXMI PD

Address-AT PATAWRA E CHAMPARAN E CHAMPARAN PURBA

CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. 0

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P5961 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P5961	00213/2014	04/10/2024	22/02/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/07/2022	05/04/2022	04/04/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 949 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RUTU SHARMA

Father's Name- W/O RANVIR KUMAR

Address-AT- MADHAUL SUSTA MADHOPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 8212000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA0240 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0240	0206/2014	04/10/2024	21/11/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	11/11/2022	04/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 950 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RANVEER KUMAR

Father's Name- S/O SHATRUGHAN THAKUR

Address-AT MADHAUL PO SUSTA MADHOPUR PS KURHANI

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9144580000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC1440 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC1440	0204/2014	04/10/2024	16/03/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/02/2024	30/11/2021	04/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 951 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SHYAM JAISWAL

Father's Name- S/O-ANANDI PRASAD JAISWAL

Address-AT-BEDIBAN MADHUBAN DAMODARPUR DAMODARPUR EAST
CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 845416

Mob. 9631440556

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB0771 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB0771	BR/106/SC/BU S/2019/5	08/12/2024	30/03/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/03/2020	26/03/2023	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 952 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHATRUGHAN THAKUR

Father's Name- S/O RAM ASHISH THAKUR

Address-MADHAUL MADHOPUR SUSTA KURHANI MUZAFFARPUR

BIHAR 842002

Mob. 9835247340

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA5240 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR31PA5240	BR/106/SC/BU S/2019/14	08/12/2024	07/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	05/10/2024	06/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 953 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHEET BASANT TRANSCORP PVT LTD

Father's Name- NA

Address-MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 8294619996

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF6096 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF6096	BR2023-SC-0077A	08/01/2028	15/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	07/04/2024	17/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 954 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHEET BASANT TRANSCORP PVT LTD

Father's Name- NA

Address-MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 8294619996

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF6396 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF6396	BR2023-SC-0066A	08/01/2028	15/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	07/04/2024	17/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 955 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHIV CHANDRA SINGH

Father's Name- JAGGNATH PRASAD SINGH

Address-KRISHNA PURI BHAGAWANPUR CHAUK MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9835050196

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF9396 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF9396	BR2023-SC-0079A	08/01/2028	24/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/06/2024	08/03/2024	25/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 956 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAM SUNDR RAI

Father's Name- NARSINGH RAI

Address-NAYA TOLA NAYA TOLA MUZAFFARPUR PATNA BIHAR 999999

Mob. 0

विषय:- आपके वाहन संख्या BR1P9503 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR1P9503	000126/2014	08/07/2024	14/01/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2020	03/01/2020	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 957 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAJEEV KUMAR SINGH

Father's Name- JAGANNATH PRASAD SINGH

Address-KRISHNA COMPLEX WARD NO 09 BLOCK ROAD BARA CHAKIA
EAST PURBA CHAMPARAN BIHAR 884526

Mob. 9835071696

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB9696 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB9696	BR2020-SC-0256A	08/03/2025	16/01/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/04/2024	14/01/2025	17/01/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 958 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAM BABU RAI

Father's Name- RAM NARESH RAI

Address-GURDA GAUSNAGAR RUNNISAIDPUR SITAMARHI SITAMARHI
BIHAR 844520

Mob. 8421986961

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P3861 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3861	BR2020-SC-0257A	08/03/2025	24/12/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/11/2023	07/10/2023	07/02/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 959 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MR NAWAL KISHOR RAY

Father's Name- JAGDEEP RAY

Address-AT RAMPUR HARI POST RAMPUR HARI MINAPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 843117

Mob. 9504954461

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE5261 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5261	BR2020-SC-0254A	08/03/2025	09/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/04/2024	02/10/2022	21/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 960 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

M/S BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

Father's Name- NA

Address-PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH PATNA

BIHAR 800001

Mob. 9111111111

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PL7527 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PL7527	BR2021-SC-0542A	08/03/2026	24/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/04/2024	10/01/2022	26/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 961 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

BIHAR STATE ROAD TRANSPORT CORP

Father's Name- NA

Address-PARIWAHAN BHAWAN BEER CHAND PATEL PATH PATNA

BIHAR 800001

Mob. 9111111111

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PL8616 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PL8616	BR2021-SC-0543A	08/03/2026	19/02/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/04/2024	14/01/2022	24/08/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 962 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAJESH KR SINGH

Father's Name- S/O BALDEV SINGH

Address-AT MAHUA SINGH ROY PO+PS MAHUA VAISHALI VAISHALI
BIHAR 844101

Mob. 8900000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P3141 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P3141	000270/2014	08/10/2024	28/10/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 963 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SARASWATI DEVI

Father's Name- W/O RAMAKANT MISHRA

Address-AT SOTI BHERIYATI PO HARIDASPUR PS KANTI MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 9334052290

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC9096 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PC9096	25/2005	08/09/2025	10/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	15/09/2021	15/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 964 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAGHVENDRA NARAYAN YADAV

Father's Name- NAGENDRA PRASAD YADAV

Address- WARD - 04, NAGENDRA PRASAD YADAV, CHAKMAHILA,
SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. 9110057308

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA3368 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR30PA3368	BR2021-SC-3072A	09/12/2026	25/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/02/2024	20/03/2024	13/06/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 965 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUCHITA CHAUDHARY

Father's Name- RADHE SHYAM CHAUDHARY

Address-URMILA APPT F NO 103 ROAD NO 2 RAJ BANSI NAGAR PATNA
BIHAR 800023

Mob. 9334382795

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PJ9595 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PJ9595	BR2020-SC-0146A	09/02/2025	15/10/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2022	09/02/2023	20/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 966 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NAND KISHORE NARAYAN

Father's Name- LATE HARI MADHOW PD SHAHI

Address-AT- Y3,ASHIYANA NAGAR FEJ-1, PHULWARI PATNA PATNA

BIHAR 800025

Mob. 7004703026

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PL2071 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PL2071	BR2023-SC-0129A	09/01/2028	10/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2024	23/07/2024	24/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 967 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

Father's Name- S/O LT CHNDESHWAR SINGH

Address-AT - PO CHAHUA PS AURAOI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 842001

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD5279 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD5279	BR2023-SC-0127A	09/01/2028	25/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	23/08/2024	14/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 968 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

KAMAL KISHOR

Father's Name- S/O BINDA MISHRA

Address-AT - PO MADHOUL PS TURKI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 800002

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD5693 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD5693	BR2023-SC-0125A	09/01/2028	08/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	17/05/2024	14/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 969 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

JEEVENDRA KR CHAURASIYA

Father's Name- SHUKDEO PRASAD CHAURASIYA

Address-ADD NEAR RALLWAY GUMTI BELA GOLA HARINAGAR WARD
NO 20 PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845103

Mob. 8540095549

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF6125 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF6125	BR2023-SC-0142A	09/01/2028	12/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/08/2024	29/05/2024	05/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 970 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NAND KISHORE NARAYAN

Father's Name- S/O-LT HARIMADHAV PD. SHAHI

Address-AT- SUPRIYA CINEMA ROAD BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN
BIHAR 845438

Mob. 7004703026

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22PA5455 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR22PA5455	BR2023-SC-0134A	09/01/2028	14/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/03/2024	22/05/2024	16/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 971 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

ASHWINI RAI

Father's Name- VIBHUTINARAYAN RAI

Address-08 TELUA NAUTAN PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845459

Mob. 8319137586

विषय:- आपके वाहन संख्या BR28P2658 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR28P2658	BR2023-SC-0160A	09/01/2028	21/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/11/2023	12/10/2023	14/12/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 972 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUNEETA SINHA

Father's Name- W/O ANIL SINGH

Address-KANTA SUSTA TOK PIRAUCHHA MUSAHRI MUZAFFARPUR

BIHAR 843118

Mob. 8862902732

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9616 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9616	BR2023-SC-1931A	09/07/2028	06/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/04/2024	02/07/2024	02/01/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 973 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VINITA DEVI

Father's Name- W/O -MANOJ KUMAR

Address-AP-RAJIV KUMAR AT-BEL BAGH COLONY BETTIAH PASHCHIM
CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. 7261090094

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22Q7071 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22Q7071	BR2021-SC-1016A	09/06/2026	26/05/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/02/2024	06/05/2023	07/12/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 974 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUNNY JAISWAL

Father's Name- SRI ABHINANDAN PD JAISWAL

Address-526 DHAKA RAMCHANDRA DHAKA MOTIHARI PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845418

Mob. 9006380444

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8896 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8896	BR2022-SC-2392A	09/11/2027	18/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	03/03/2024	03/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 975 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

GAJENDRA PRASAD

Father's Name- RAMA YADHYA PRASAD

Address-RAJENDRA NAGAR CHHATAUNI MOTIHARI PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 8002570127

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE9596 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE9596	BR2022-SC-2390A	09/11/2027	18/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/09/2024	03/03/2024	16/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 976 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

CHANDRA BHANU SINGH

Father's Name- NAWAL KISHORE SINGH

Address-SHEKHPUR AKHARAGHAT AHYAPUR MUZAFFARPUR BIHAR
842001

Mob. 9006256767

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF3438 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF3438	BR2022-SC-2380A	09/11/2027	15/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	03/04/2024	22/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 977 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AJEET KUMAR

Father's Name- HARI SINGH

Address-LOMA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR
842001

Mob. 0

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06D7615 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06D7615	352/2019	09/09/2024	18/01/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2020	25/01/2019	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 978 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PRABHAT SINGH

Father's Name- RAJENDRA SINGH

Address-TENGRARI TENGRARI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR
999999

Mob. 9431475712

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P2976 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P2976	356/2019	09/09/2024	09/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/06/2021	27/06/2020	27/06/2020	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 979 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MS ANAND TRAVELES

Father's Name- I/C PARTNER ANAND KUMAR SINGH

Address-AT KOLHUA DADAR PO GPO PS AHYAPUR MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 0

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB3477 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB3477	376/2019	09/09/2024	17/05/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/10/2020	18/08/2020	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 980 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AJIJUR RAHMAN

Father's Name- S/O MD WASI AKHTAR

Address-JAMUA DHAKA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845418

Mob. 7780007779

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD7620 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD7620	362/2019	09/09/2024	24/04/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2021	29/10/2021	31/03/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 981 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ASHA DEVI

Father's Name- ANIRUDH PRASAD

Address-BHAGWANPUR ZIRAT MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR
845401

Mob. 9973359766

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8796 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8796	BR2020-SC-0456A	09/09/2025	18/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	22/04/2024	17/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 982 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MAN MARDHAN SHUKLA

Father's Name- S/O LATE RAMDAS SHUKLA

Address-AT NAYA TOLA PO SPEAKE CHOWK MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 8890000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD3151 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD3151	091/2019	10/04/2024	17/12/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	15/09/2021	07/12/2021	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 983 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

JITENDRA SHARMA

Father's Name- S/O CHANDRA BHUSHAN SHARMA

Address-AT LEECHI BAGAN PO KALAM BAGH ROAD MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9431007414

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC5066 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PC5066	BR/106/SC/BU S/2019/42	10/12/2024	20/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/02/2024	14/05/2024	03/09/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 984 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NIDHI KUMARI

Father's Name- D/O LATE C B SINGH

Address-AT FRASER ROAD PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. 9973221143

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD4057 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD4057	BR2023-SC-0174A	10/01/2028	17/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	27/11/2024	23/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 985 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAMAKANT MISHRA

Father's Name- LT.SHIV PRASAN MISRA

Address-SOTI BHERIYAH I KANTI MUZ MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 0

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P8796 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P8796	000020/2014	10/06/2024	03/08/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/04/2024	08/02/2022	02/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 986 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PRANAY KR.THAKUR

Father's Name- KRISHNANDAN THAKUR

Address-SHAHAWAZPUR AHYAPUR MUZ MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 0

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P9401 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P9401	00022/2014	10/06/2024	13/05/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/06/2021	13/06/2020	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 987 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SMT.POONAM GUPTA

Father's Name- W/O -KAMLESH KUMAR

Address-AT/PO-CHUHADI PS-CHANPATIYA AT-PO-CHUADI BETTIAH

PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 7717753940

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P0585 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P0585	14/2014	10/06/2024	02/03/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/12/2023	19/07/2022	23/03/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 988 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PRAKASH CHANDRA TIWARI

Father's Name- S/O -RAJ KISHOR TIWARI

Address-PRAKESH CHANDRA TIWARI AT-BHAGWATI NAGAR

HARIBATIKA CHOWK BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. 8757021411

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P5625 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P5625	000010/2014	10/06/2024	31/10/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/11/2023	01/02/2025	12/10/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 989 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

Address-PARIVAHAN BHAWAN BIRCHAND PATEL PATH PATNA PATNA
BIHAR 800001

Mob. 7322936339

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PH3546** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PH3546	BR2023-SC-0835A	10/03/2028	23/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	NA	27/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में **VLTD** (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।**

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 990 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NAND KISHORE NARAYAN

Father's Name- HARIMADHAV PRASAD SHAHI

Address-CHANAYANBANDH KHUTIYA HINDU MAJHAULIYA PASHCHIM
CHAMPARAN BIHAR 800025

Mob. 7004703026

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE5782 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE5782	BR2023-SC-0847A	10/03/2028	14/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/04/2024	21/03/2024	09/02/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 991 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ALOK KUMAR

Father's Name- S/O RAM SARNAGAT SINGH

Address-ATHARI GARGATTA WARD NO 14 PS RUNNISAIDPUR

SITAMARHI BIHAR 843311

Mob. 7488635100

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA1785 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30PA1785	BR2023-SC-0856A	10/03/2028	28/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/04/2024	21/07/2023	29/11/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 992 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUBHASH CHANDRA TIWARI

Father's Name- S/O RAJ KISHORE TIWARI

Address-AT/PO- DIGHIKALA PS- SADAR DIST VAISHALI BIHAR 999999

Mob. 8757021411

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31Q5625 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR31Q5625	BR2023-SC-0844A	10/03/2028	18/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	15/02/2024	14/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 993 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NEETU DEVI

Father's Name- W/O -SUSHIL KUMAR

Address-AT-PAHARPUR MANGURAHA MOTIHARI MOTIHARI PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845458

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA4117 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR05PA4117	BR2022-SC-2405A	10/11/2027	05/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/05/2024	09/07/2023	17/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 994 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

JEEVENDRA KR CHAURASIYA

Father's Name- SHUKDEO PRASAD CHAURASIYA

Address-ADD NEAR RALLWAY GUMTI BELA GOLA HARINAGAR WARD
NO 20 PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845103

Mob. 8540095549

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF4325 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF4325	BR2022-SC-2408A	10/11/2027	15/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/06/2024	26/04/2024	26/04/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 995 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ARUN KUMAR

Father's Name- S/O -LATE UMESH CHAND

Address-AT/PO-PAHARPUR PS-PAHARPUR MOTIHARI PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P1556 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P1556	BR2022-SC-2402A	10/11/2027	16/02/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/08/2023	14/02/2023	10/11/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 996 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SRINATH RAY

Father's Name- RAM SWARTH RAY

Address-CHAINPUR PUPRI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843320

Mob. 9201219128

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30P0199 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR30P0199	000275/2014	10/10/2024	30/10/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/07/2023	10/10/2020	16/04/2020	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 997 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUMANTH SAURABH

Father's Name- W/O - KAILASH MISHRA

Address-AT- KRISHNAPURI PO-BHAGWANPUR CHOWK MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 845401

Mob. 9525353368

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05GA9896 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05GA9896	120/2019	11/04/2024	20/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/03/2024	26/01/2025	12/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 998 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ABHAY KUMAR TIWARI

Father's Name- S/O -VAIDHYANATH TIWARI

Address-328 AT-NUNAFARAVA ANC-PATAHI MOTIHARI PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845457

Mob. 9097372857

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05P6887 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P6887	108/2019	11/04/2024	28/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/05/2024	24/11/2024	25/12/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 999 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

HARIBANSH NR SINGH

Father's Name- S/O R S SINGH

Address-AT BRAHAMPURA PO-MIT MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 842003

Mob. 9430253400

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P5642 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5642	14/2019	11/04/2024	21/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2024	05/02/2024	02/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1000 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHYAM BIHARI

Father's Name- MAHENDRA NR.CHAUDHAR

Address-KHARAUNA KURHANI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR
842001

Mob. 8900000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P9813 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P9813	165/2019	11/04/2024	03/01/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/04/2020	30/01/2019	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1001 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

GODAWARI DEVI

Father's Name- W/O RAGHWESH KUMAR

Address-101 BRAHMPURA ANCHAL MUSHAHARI MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 9933212221

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC3871 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC3871	132/2019	11/04/2024	19/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/04/2024	15/12/2022	28/12/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1002/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SIMMU SHARMA

Father's Name- W/O BANSHI MANOHAR

Address-AT CINEMA ROAD BRAHAMPURA PO MIT MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 9771423299

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC6739 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC6739	154/2019	11/04/2024	16/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/02/2024	04/10/2020	16/08/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1003 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHEET BASANT TRANSCORP PVT LTD

Father's Name- NA

Address-SHEET BASANT FUEL SERVICE, NH-28,KANTI KASBA, KANTI
INFRONT OF THERMAL POWER PLANT MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. 8294619996

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9697 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD9697	145/2019	11/04/2024	20/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/05/2024	18/09/2023	29/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1004/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

AMAR JYOTI TRAVELS

Father's Name- NA

Address-UMA MARKET MOTIJHEEL MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842002

Mob. 9334907061

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF4151 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF4151	133/2019	11/04/2024	05/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/05/2024	03/05/2024	29/04/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1005 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

JITENDRA KUMAR SINGH

Father's Name- S/O -YUGAL KISHOR SINGH

Address-AT-PARAS PAKDI PS-MAJHAULIA BETTIAH PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845454

Mob. 7004410856

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22B7321 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22B7321	177/2019	11/04/2024	05/08/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/03/2024	13/10/2024	21/01/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1006/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SUBODH KUMAR

Father's Name- S/O BINDESHWAR MISHRA

Address-AT- B JAYANARAYAN SILOUT MUZAFFARPUR BIHAR 848101

Mob. 9852967239

विषय:- आपके वाहन संख्या BR33P4879 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR33P4879	107/2019	11/04/2024	15/07/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/06/2020	26/07/2020	29/06/2020	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1007 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHEELA MISHRA

Father's Name- W/O M K MISHRA

Address-AT-NARAHAN NIWAS MAGARDAHI SAMASTIPUR SAMASTIPUR
SAMASTIPUR BIHAR 848101

Mob. 9430998999

विषय:- आपके वाहन संख्या BR33P5139 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR33P5139	106/2019	11/04/2024	21/02/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/02/2020	16/03/2020	09/03/2020	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1008 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

HARIVANS NR SINGH

Father's Name- S/O RAMESHWAR SINGH

Address-AT - SANJAY CINEMA ROAD BRAHMPUTRA MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 800145

Mob. 9572827111

विषय:- आपके वाहन संख्या BR38B7871 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR38B7871	148/2019	11/04/2024	26/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	17/03/2022	04/11/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1009 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR YADAV

Father's Name- S/O LT CHANDESHWAR RAI

Address-AT BIBIGANJ BHAGWANPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 842003

Mob. 7007038087

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8121 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8121	BR2022-SC-1110A	11/05/2027	09/08/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/07/2023	15/02/2023	15/08/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1010 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUBHASH CHANDRA TIWARI

Father's Name- RAJ KISHOR TIWARI

Address-AT- DIGHI KALA WEST HAJIPUR VAISHALI VAISHALI BIHAR
844102

Mob. 8757021411

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR02AA1027** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR02AA1027	BR2023-SC-1428A	11/05/2028	07/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/02/2024	01/02/2025	02/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1011 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PUNAM DEVI

Father's Name- W/O MANOJ KR YADAV

Address-AT BIBI GANJ BHAGWANPUR MUSHAHARI MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9431266337

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD0595 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD0595	BR2023-SC-1426A	11/05/2028	01/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/04/2024	02/03/2024	25/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1012/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR YADAV

Father's Name- LT CHANDESHWAR RAY

Address-BIBIGANJ BAGHWANPUR SADAR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 7004799500

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD7623 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7623	BR2023-SC-1439A	11/05/2028	05/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/04/2024	02/03/2024	25/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1013/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

VIKASH RANJAN

Father's Name- BIRENDRA PRASAD YADAV

Address-AGARPUR LALGANJ VAISHALI BIHAR 844121

Mob. 7992461218

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF3534 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF3534	BR2023-SC-1430A	11/05/2028	04/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/04/2024	26/04/2024	27/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1014/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

JITENDRA KR RAY

Father's Name- S/O SATTAN RAY

Address-AT- 71 JALALPUR PO- JALALPUR LALGANJ DIST VAISHALI

BIHAR 999999

Mob. 7004799500

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31P9692 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P9692	BR2023-SC-1438A	11/05/2028	16/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/05/2024	07/12/2024	22/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1015 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAJKISHOR SAH

Father's Name- RAMBABU SAH

Address-PARSAUNI MAILWAAR PARSAUNI WARD NO 15 PARSAUNI
SITAMARHI BIHAR 843325

Mob. 7250544598

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF3437 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF3437	BR2022-SC-2411A	11/11/2027	15/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/06/2023	30/03/2024	15/04/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1016/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVELS

Father's Name- I/C ALOK KUMAR SINGH

Address-NH 77 KOLHUA DADAR NEW ZERO MILE AHIYAPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. 9431238216

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD8716 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8716	383/2019	11/09/2024	03/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/09/2022	08/06/2022	05/03/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1017 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

GOPAL KUMAR GOENKA

Father's Name- LT LARAM GOENKA

Address-AT TATIYA COLONY WARD NO 19 PS NAGAR THANA

SAMASTIPUR BIHAR 848101

Mob. 6203375510

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF7243 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF7243	BR2023-SC-2590A	11/09/2028	02/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	07/07/2024	07/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1018/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

BARUN PRAKASH PANDEY

Father's Name- S/O AJAY KUMAR PANDEY

Address-SHYAMPUR EAST CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR
845301

Mob. 8002419496

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD8498 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD8498	BR/106/SC/BU S/2019/56	12/12/2024	02/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	26/10/2024	29/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1019 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

Father's Name- CHANDESHWAR SINGH

Address-WARD NO 10 CHIHUTA MUZAFFARPUR BIHAR 843312

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE4962 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE4962	BR/106/SC/BU S/2019/51	12/12/2024	14/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/03/2024	09/03/2024	10/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1020 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VIKASH KUMAR

Father's Name- JALANDHAR SINGH

Address-BATRAULIA BISAULI BAKHRA SARAIYA MUZAFFARPUR BIHAR
843101

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE5793 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE5793	BR/106/SC/BU S/2019/49	12/12/2024	14/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/05/2024	13/12/2024	17/01/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1021 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SANTOSH KUMAR RAI

Father's Name- S/O -RAVINDRA ROY

Address-AT-BILASAPUR RAMNAGAR ANCHAL-PIPRASI BETTIAH

PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845101

Mob. 9973149751

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P6825 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P6825	BR/106/SC/BU S/2019/58	12/12/2024	16/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	07/02/2025	10/07/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1022 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

KUMARI SADHANA

Father's Name- W/O BRISH KETU

Address-BHABHA NAGAR BEHIND JHA JEE HOUSE BHAGWANPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9973032906

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD7225 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7225	BR2023-SC-0225A	12/01/2028	17/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	06/03/2024	12/01/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1023 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

JIPSI DEVI

Father's Name- SHAMBHU RAI

Address-RUSULPUR SALIM BHIKHANPUR KOTHI BHIKHANPURA, B.

FACTORY MUZAFFARPUR BIHAR 842004

Mob. 8862902732

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF3413 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF3413	BR2023-SC-0224A	12/01/2028	06/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	04/04/2024	07/01/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1024/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

AMAR JYOTI CARRIERS PVT LTD

Father's Name- S/O 000000000

Address-AT EXHIBITION ROAD PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. 8990200000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD4451 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD4451	000286/2014	12/10/2024	14/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/03/2024	10/08/2024	06/02/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1025 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MD SIKANDAR ALAM

Father's Name- ISMAIL ANSARI

Address-MANIKPUR TURKAULIA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845437

Mob. 9199297989

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE4250 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE4250	435/2019	12/09/2024	06/09/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	31/05/2024	19/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1026/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

AMAR JOYTI TRAVELS

Father's Name- S/O 000000000

Address-AT IMLEE CAHTTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 8989990000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD4151 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD4151	BR/SC/106/588 /2011	12/09/2026	23/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1027 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BIMLESH KUMAR

Father's Name- S/O ARUN KUMAR SINGH

Address-197 SINGARAHIIYA SAHIYARA SITAMARHI SITAMARHI BIHAR
843302

Mob. 7678338488

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30P6778 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30P6778	250/2019	13/08/2024	02/08/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/03/2024	03/11/2021	02/04/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1028/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RAJESH KUMAR SINGH

Father's Name- BALDEO SINGH

Address-MAHUA SINGH RAY MAHUA VAISHALI BIHAR 844122

Mob. 9835295010

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8434 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE8434	BR2020-SC-0590A	13/12/2025	15/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/03/2024	02/05/2023	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1029 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUMUKH SAURABH

Father's Name- S/O KAILASH MISHRA

Address-BHERIYAHI SOTI BHERIAHI MUSAHRI MUZAFFARPUR BIHAR
843109

Mob. 6206193096

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD7296 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7296	BR2022-SC-0139A	13/01/2027	27/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/06/2024	13/12/2024	30/01/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1030 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

CHANDRABHUSHAN SINGH

Father's Name- LATE KAMAL SINGH

Address- WARD NO-13 KURWA MATHIA KUMARBAG PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845450

Mob. 7004703026

विषय:- आपके वाहन संख्या UP65AT0001 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
UP65AT0001	BR2022-SC-0156A	13/01/2027	15/12/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	29/01/2024	01/08/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1031 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NANDAN KUMAR DUBEY

Father's Name- BINAY SHANKAR DUBEY

Address-TARWARA MORE SIWAN BIHAR 802010

Mob. 8809454002

विषय:- आपके वाहन संख्या BR29PA6085 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR29PA6085	BR2023-SC-0232A	13/01/2028	28/09/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/05/2023	01/05/2024	15/05/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1032/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SHIVAM KUMAR

Father's Name- PARASNATH CHAUDHARY

Address-ADD DADHUA PO SUKKI PS PATEPUR VAISHALI BIHAR 843114

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE4604 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE4604	BR2023-SC-2064A	13/07/2028	11/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	01/02/2024	03/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1033 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SANJAY KUMAR SINGH

Father's Name- S/O -BHAVAN SINGH

Address-AT-RAJA BAZAR PO/PS-MOTIHARI DIST-EAST CHAMPARAN

MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 9431409793

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05P5493 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P5493	0236/2019	13/06/2024	22/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/03/2024	02/03/2023	15/11/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1034/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SMT. SARASWATI DEVI

Father's Name- W/O - RAMAKANT MISHRA

Address-AT- SOTI BHERIYAH I PO-HARIDSPUR PS-KANTI MUZAFFARPUR
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 9525353368

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA9396 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA9396	BR/106/SC/10/ 2015	13/11/2025	10/01/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/05/2024	08/02/2025	19/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1035 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

DUSHYANT KUMAR SINGH

Father's Name- S/O DILEEP KUMAR SINGH

Address-AKHAIWA DUMRA SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. 7004341523

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30J8751 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR30J8751	0289/2014	13/10/2024	21/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	11/04/2020	03/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1036/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RAM BHAWAN PRASAD

Father's Name- TRIPIT NARAYAN SINGH

Address-HOUSE NO-51 SANDA KOLHACHAWK BHERGAWAN HAZRAT
SAIN PATNA BIHAR 804451

Mob. 9931231697

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PJ4759 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PJ4759	457/2019	13/09/2024	07/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2024	19/06/2024	10/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1037 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ARVIND SINGH

Father's Name- S/O -RAM NARAYAN SINGH

Address-AT-LAUKAHA ANC-PAHARPUR MOTIHARI PURBA CHAMPARAN
BIHAR 845401

Mob. 9472699296

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05P8817 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P8817	456/2019	13/09/2024	07/10/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/09/2022	23/09/2022	25/11/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1038 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MRS.SARASWATI DEVI

Father's Name- W/O RAMAKANT MISHRA

Address-SOTIBHERIYAH I KANTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR
999999

Mob. 8051610661

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P0896 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P0896	421/2019	13/09/2024	09/02/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/02/2024	08/10/2019	07/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1039 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ARUN KUMAR SINGH

Father's Name- S/O - NAGESHWAR SINGH

Address-AT- SINGHARHIA SITAMARHI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR
999999

Mob. 9835833937

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA8544 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA8544	455/2019	13/09/2024	25/12/2019

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/02/2024	09/01/2025	11/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1040 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

KAMAL KISHOR KUMAR

Father's Name- S/O UPENDRA PD YADAV

Address-AT SHALIGRAMI PO SAHEBGANJ KAMAL BEGUSARAI

BEGUSARAI BIHAR 999999

Mob. 8989100000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8992 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8992	466/2019	13/09/2024	02/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/08/2022	15/10/2021	06/12/2021	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1041 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHEET BASANT TRANSCORP PVT LTD

Father's Name- NA

Address-SHEET BASANT FUEL SERVICE NH-28,KANTI KASBA, KANTI
INFRONT OF THERMAL POWER PLANT MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. 8294619996

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9296 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD9296	420/2019	13/09/2024	30/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/05/2024	09/06/2024	26/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1042/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SANJAY KUMAR SHAHI

Father's Name- RAM BARAN SHAHI

Address-NEAR DAV PUBLIC SCHOOL NAWAL KISHOR NAGAR KHABRA
MUZAFFARPUR BIHAR 843146

Mob. 9955056563

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE2144 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE2144	468/2019	13/09/2024	04/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/05/2022	30/09/2022	28/09/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1043 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NILESH KUMAR

Father's Name- SURESH PD YADAV

Address-FLAT NO 201 TRUPATI ENCLAVE NEHRU NAGAR PATLIPUTRA
PATNA BIHAR 800001

Mob. 9234930333

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE5858 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE5858	465/2019	13/09/2024	04/07/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/10/2019	25/06/2020	07/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1044/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MAHENDRA PASWAN

Father's Name- LT.FEKAN PASWAN

Address-DEVANA BUJURG RUNNISAIDPUR SITAMARHI SITAMARHI

BIHAR 843321

Mob. 9431209073

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA0263 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0263	020/2010	14/01/2025	26/07/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/10/2023	08/11/2023	17/09/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1045 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AWADHESH KUMAR TIWARI U/LA BSRTC

Father's Name- SHREE KANT TIWARI

Address-CHADARAHIYA ARERAJ PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. 8709372551

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8241 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE8241	BR2022-SC-2433A	14/11/2027	06/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/02/2024	26/11/2024	14/11/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1046/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

ANAND PRAKASH

Father's Name- S/O BRAJ MOHAN TIWARI

Address-AT DHIRAN CHHAPARA ANCHAL MUSHARI MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 7890000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD2855 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD2855	186/2019	15/04/2024	08/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/02/2024	06/09/2024	01/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1047 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

DIWAKAR SHARMA

Father's Name- S/O - KAMALDHARI SHARMA

Address-AT- JATVALIYA PO-TELAHARA KALA MOTIHARI PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845304

Mob. 9771915145

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA2286 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA2286	BR2022-SC-0818A	15/04/2027	18/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/08/2024	10/11/2024	11/11/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1048 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ABHINANDAN PRASAD

Father's Name- RAM AYODHYA PRASAD

Address-DHAKA RAMCHANDRA DHAKA PURBA CHAMPARAN BIHAR
845418

Mob. 9006380444

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9306 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD9306	BR2022-SC-0809A	15/04/2027	11/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	14/09/2024	27/12/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1049 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VIKASH KUMAR

Father's Name- GAJENDRA PRASAD

Address-ADD- BEHIND SHARMA HOTEL RAJENDRA NAGAR MOTIHARI
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 8002570127

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF9596 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF9596	BR2022-SC-0804A	15/04/2027	04/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/10/2024	31/07/2024	15/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1050 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SMT.YASHBALA DEVI

Father's Name- W/O -ANAND KUMAR JHA

Address-AT-SAGAR POKHRA MANDIR PO/PS-BETTIAH BETTIAH

PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. 9661921336

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P1358 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P1358	BR2022-SC-0813A	15/04/2027	18/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/03/2024	13/11/2023	25/01/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1051 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MADHASUDAN PRASAD

Father's Name- S/O RAJESHWAR PRASAD

Address-137 TOWN VILL-BASVARIYA ANCHAL-BETTIAH BETTIAH

PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. 7004523233

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P1809 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR22P1809	BR2022-SC-0793A	15/04/2027	09/12/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/04/2024	20/03/2024	21/12/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1052/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SAVITRI MISHRA

Father's Name- UDAY KUMAR MISHRA

Address-RASULPUR ZILANI KAZIMOHMADPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9661220913

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P8209 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P8209	BR2021-SC-1760A	15/08/2026	18/09/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	21/12/2022	21/07/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1053 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BARUN PRAKASH PANDEY

Father's Name- S/O AJAY PANDEY

Address-AT-SHYAM PUR PS-ADAPUR MOTIHARI PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845401

Mob. 7004230596

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA9596 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA9596	BR/106/SC/BU S/2019/68	15/12/2024	20/12/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/03/2024	10/10/2022	08/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1054/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVESL

Father's Name- I/C ALOK KUMAR SINGH

Address-AKHARAGHAT SERVICE STATION NH 77 KOLHUA DADAR NEW
ZERO MILE MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. 9934016368

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE1116 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE1116	BR/106/SC/BU S/2019/70	15/12/2024	25/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/03/2024	19/12/2024	06/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1055 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MAHIP KUMAR

Father's Name- S/O- RAMNARAYAN SINGH

Address-AT- MOHAMMADPUR DAMODAR M.BADAL DHOLI(MORAU)

MUZAFFARPUR BIHAR 843114

Mob. 9006581351

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF5211 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF5211	BR2022-SC-2436A	15/11/2027	21/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	30/03/2024	02/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1056/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SMT.USHA DEVI

Father's Name- W/O BHUNESHWAR P.SIN

Address-ASHRAM ROAD RAXAUL RAXAUL E.CHAMPARAN PURBA
CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. 7004893690

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P2671 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P2671	470/2019	15/09/2024	30/09/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/03/2024	02/02/2023	12/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1057 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MD.ISODULLAH & OTHERS

Father's Name- ABDUL KALAM

Address-AMODEI RAMGARDHWA E.CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. 6283781313

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P3656 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P3656	474/2019	15/09/2024	28/07/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/03/2024	19/07/2023	09/01/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1058 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR SINGH

Father's Name- S/O RAM CHANDRA SINGH

Address-WARD NO 06 ABABAKARPUR PO MANPURA PS TAJPUR

SAMASTIPUR BIHAR 848130

Mob. 8809221711

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE7014 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7014	479/2019	15/09/2024	28/09/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	11/06/2024	27/09/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1059 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SARASWATI SHISHU MAN

Father's Name- PRO. OM PRAKASH MASK

Address-MILAN AUTO BODY BUIL KANKERBAGH, PATNA PATNA BIHAR
999999

Mob. 9430820887

विषय:- आपके वाहन संख्या BR1P8394 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR1P8394	472/2019	15/09/2024	07/08/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/06/2021	31/07/2020	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1060 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

UDAYSHANKER PD.SINGH

Father's Name- LT.DHARMDEV PD.SINGH

Address-SHERPUR BELA SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR
842001

Mob. 9471665407

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P2516 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P2516	BR/106/SC/BU S/2019/86	16/12/2024	13/10/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/11/2021	20/09/2021	16/10/2021	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1061 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAJESH KUMAR MEHTA

Father's Name- S/O KRISHN MOHAN MEHTA

Address-VILL- ISHAKPUR .PO- MAHNAR PS+ANCHAL- MAHNAR

VAISHALI VAISHALI BIHAR 844111

Mob. 9835051187

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA1590 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA1590	BR/106/SC/BU S/2019/77	16/12/2024	22/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/02/2022	28/02/2024	11/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1062/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

GODAVARI DEVI

Father's Name- W/O RAGHAVESH KUMAR

Address-ADD 101 BRAHMPURA TOWN/VILL MUZAFFARPUR ANCHAL
MUSHAHARI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9199636661

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC7839 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PC7839	BR/106/SC/BU S/2019/84	16/12/2024	04/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/02/2024	23/02/2022	15/04/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1063 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MRS RITU SHARMA

Father's Name- W/O RANAVIR KUMAR

Address-AT- MADHAULA ANCHAL- KUNDHANI DIST MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mob. 9471480440

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA6640 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA6640	BR2022-SC-2655A	16/12/2027	15/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/05/2024	11/12/2023	02/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1064/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR SINGH

Father's Name- LATE KRISHNA SINGH

Address-VILL SAHWAJPUR PO BHIKHANPUR PS AHIYAPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842004

Mob. 8862902732

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P3957 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P3957	BR2023-SC-0269A	16/01/2028	25/09/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/05/2024	31/12/2023	18/09/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1065 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

CHAND BIBI

Father's Name- MD.PARVEJ ALAM

Address-MARIPUR FARQUEE CLY. KAZIMOHMADPUR MUZ

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 7658623240

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA0583 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA0583	057/2014	16/06/2024	04/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/11/2022	21/11/2022	09/10/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1066/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

VINAY KUMAR MISHRA

Father's Name- S/O SHATRU SUDAN MISHRA

Address-LIG-92 NETAJEE SUBHASH CHANDRA BOSE NAGAR COLONY
SURAJKUND BILANDPUR KHATTA BIHAR 273001

Mob. 7678514976

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB4831 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB4831	BR2022-SC-1339A	16/06/2027	06/12/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/03/2024	30/11/2024	30/01/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1067 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHREE KANT PANDEY

Father's Name- S/O BHARAT PANDEY

Address-10.TOWN/VILL- HARDIYA ANCHAL-ARERAJ MOTIHARI E
CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. 7800000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA5328 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5328	BR/106/SC/246 /2012	16/06/2027	15/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/02/2024	19/07/2024	02/06/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1068/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

UMAKANT KUMAR SINGH

Father's Name- S/O KISHORI SINGH

Address-NH WEST MATHIYA JIRAT MOTIHARI MOTIHARI PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 9431288788

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB2985 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB2985	BR2020-SC-0343A	16/03/2025	27/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	05/01/2025	13/12/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1069 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

Father's Name- S/O LT CHANDESHAR SINGH

Address-VILL PO CHAHUTA PS AURAI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 999999

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8744 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8744	BR2020-SC-0326A	16/03/2025	13/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	10/06/2024	27/12/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1070 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVELS

Father's Name- I/C C/O PRO ALOK KUMAR SINGH

Address-AT N H 77 KOLHUA DADAR NEW ZERO MILE AHYAPUR

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 7294022129

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD2216 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD2216	BR2020-SC-0318A	16/03/2025	23/09/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/12/2023	31/10/2023	14/09/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1071 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHANTI DEVI

Father's Name- W/O KAMESHWAR SINGH

Address-AT PO BATROULI PS SARAIYA MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD5282 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD5282	BR2020-SC-0335A	16/03/2025	25/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/04/2024	12/10/2024	26/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1072/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

Father's Name- CHANDESHWAR SINGH

Address-WARD NO 10 CHIHUTA MUZAFFARPUR BIHAR 843312

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE5043 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE5043	BR2020-SC-0334A	16/03/2025	14/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/03/2024	04/03/2024	07/02/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1073 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

KIRAN SHUKLA

Father's Name- LATE KAUSHLENDRA SHUKLA

Address-NAYA TOLA SPEAKER CHOWK MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. 7488287099

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA7851 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR31PA7851	BR2020-SC-0344A	16/03/2025	07/02/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/05/2024	03/01/2025	03/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1074/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

UDAI SHANKAR PRASAD SINGH

Father's Name- LATE DHARMDEO PRASAD SINGH

Address-NEAR DURGA MANDIR SHERPUR MAJHAULI DHARMDAS

NARAYANPUR ANANT MUZAFFARPUR BIHAR 842005

Mob. 8936085407

विषय:- आपके वाहन संख्या BR32PA6157 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR32PA6157	BR2023-SC-0919A	16/03/2028	04/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	21/07/2024	01/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1075 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PRAMOD KUMAR SINGH

Father's Name- BHARAT BHUSHAN SINGH

Address-JHAKHARA JHAKHARA PIPRA KOTHI PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845429

Mob. 9431288788

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05P6921 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR05P6921	BR2023-SC-1477A	16/05/2028	01/02/2009

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/01/2019	na	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1076/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

UMAKANT PANDEY

Father's Name- S/O -MAHATMA PANDEY

Address-AT-YADAV CHHAPAR PS-CHANPATIYA BETTIAH PASHCHIM
CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. 8084667701

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P2139 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P2139	495/2019	16/09/2024	16/03/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/03/2024	26/02/2023	04/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1077 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MR. RANBIR KUMAR

Father's Name- S/O - SHATRUDHAN THAKUR

Address-AT- MADHOUL ANCHAL - KUDHANI MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842002

Mob. 9471480440

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA9740 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA9740	BR2022-SC-0832A	17/04/2027	05/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/04/2024	23/01/2025	01/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1078/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SARFRAZ AHMAD

Father's Name- S/O SHAKIR HUSSAIN

Address- WARD NO 43 AZAD RD SARAIYA CHANDWARA MUSAHRI

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9431475565

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD8786 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8786	BR2022-SC-0824A	17/04/2027	11/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/04/2024	24/07/2022	06/08/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1079 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ABHISHEK KUMAR

Father's Name- RAMESHAR SINGH

Address-CHACK KANCHANPUR RAHIMAPUR BIDUPUR VAISHALI BIHAR
844502

Mob. 9334488625

विषय:- आपके वाहन संख्या BR1PA1661 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR1PA1661	BR2022-SC-0823A	17/04/2027	02/09/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/01/2024	21/12/2024	24/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1080 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ANAND KUMAR RAI

Father's Name- S/O -MAHANTH PD RAI

Address-AT-BILASPUR HARINAGAR PS-RAM NAGAR NARKATIAGANJ

PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845455

Mob. 9973149751

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P1425 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR22P1425	BR2022-SC-0831A	17/04/2027	30/12/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/12/2018	25/12/2019	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1081 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR

Father's Name- CHANDRABHUSHAN SINGH

Address-AT-PAHARPUR PO-PAHARPUR PS-PAHARPUR PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845458

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA2207 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA2207	BR2023-SC-1176A	17/04/2028	25/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/04/2024	13/11/2024	15/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1082/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR

Father's Name- S/O -CHANDRA BHUSHAN SINGH

Address-AT-PO-PS-PAHARPUR MOTIHARI MOTIHARI PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA7071 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA7071	BR2023-SC-1177A	17/04/2028	10/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
24/03/2024	29/04/2023	08/02/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1083 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAKESH KUMAR

Father's Name- S/O -RAMESHWAR PRASAD

Address-AT-CHAUDIHARWA PO-DHUMNAGAR PS-JAGDISHPUR BETTIAH
PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. 9579879879

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P7801 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P7801	BR2022-SC-0352A	17/02/2027	01/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/12/2022	30/06/2022	26/08/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1084/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

PAMMI SINGH

Father's Name- NITESH KUMAR

Address-PAHARPUR PAHARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR 845458

Mob. 6202298448

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA1837 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR05PA1837	BR2021-SC-0021A	17/01/2026	01/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/03/2024	02/08/2024	06/02/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1085 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAMESH MAHTO

Father's Name- BANGALI MAHTO

Address-ADD -GRAM SISAHI MALDI PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR
845451

Mob. 7481088277

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF2419 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF2419	BR2022-SC-0191A	17/01/2027	01/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/04/2024	28/10/2024	13/12/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1086/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

VINITA DEVI

Father's Name- W/O -MANOJ KUMAR

Address-AT-PO-PS-PAHRPUR MOTIHARI MOTIHARI PURBA CHAMPARAN
BIHAR 845401

Mob. 9771710009

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05GA7071** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR05GA7071	BR2020-SC-0354A	17/03/2025	10/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/03/2024	01/05/2023	08/02/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device)** स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1087 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ANKIT RAJ

Father's Name- LATE RAMESH KUMAR

Address-HARDASPUR KANTI MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. 9951204234

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC9896 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PC9896	BR2020-SC-0360A	17/03/2025	02/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/03/2024	30/05/2024	30/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1088/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

Father's Name- CHANDESHWAR SINGH

Address-WARD NO 10 CHIHUTA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR
843312

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE5053 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE5053	BR2020-SC-0352A	17/03/2025	17/10/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/10/2019	04/10/2022	05/06/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1089 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NEELAM KUMARI

Father's Name- W/O VIJAY KUMAR

Address-AT MAHUA MAHUA VAISHALI VAISHALI BIHAR 844101

Mob. 8271058373

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P8188 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P8188	504/2019	17/09/2024	27/07/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	20/02/2024	03/12/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1090 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

Father's Name-

Address-BIHAR 0

Mob. 8652154215

विषय:- आपके वाहन संख्या BR1P9002 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR1P9002	0325/2009	18/08/2024	12/01/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/09/2022	14/10/2022	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1091 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

VIKASH KUMAR

Father's Name- JALANDHAR SINGH

Address-BATRAULIYA BAKHRA SARAIYA MUZAFFARPUR BIHAR 843101

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE6438 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE6438	BR/106/SC/BU S/2019/99	18/12/2024	16/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/03/2024	17/05/2024	10/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1092/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SUNITA KUMARI

Father's Name- W/O SUDHIR KISHOR PD SINGH

Address-SARVODAY NAGAR BISHANPUR MIRZAPUR BANDUAR

BEGUSARAI BIHAR 851129

Mob. 7992420750

विषय:- आपके वाहन संख्या BR09M2625 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR09M2625	BR2021-SC-0037A	18/01/2026	13/02/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/04/2024	02/02/2023	08/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1093 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ARVIND KUMAR

Father's Name- S/O RAM PRIT RAY

Address-AT MAHUA SINGHRAI PO PS MAHUA VAISHALI VAISHALI

BIHAR 999999

Mob. 9835285283

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB7167 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB7167	240/2019	18/06/2024	04/04/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
03/03/2024	09/02/2021	05/02/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1094/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MD USHMAN

Father's Name- S/O MD GONAUD ANSARI

Address-134 WARD NO 20 TOWN SITAMARHI SITAMARHI SITAMARHI
BIHAR 843302

Mob. 7654361841

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30P0466 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30P0466	BR/SC/106/685 /2011	18/10/2026	04/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
09/05/2024	29/11/2023	16/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1095 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ANAND PRAKASH

Father's Name- BRAJ MOHAN TIWARI

Address-DHIRAN CHAPRA R K ASHARAM BELA MUZAFFARPUR BIHAR
842001

Mob. 8579070755

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD7855 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7855	510/2019	18/09/2024	19/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/02/2024	09/05/2024	23/01/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1096/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MAHENDRA KR DWIVEDI

Father's Name- S/O MURAT DWIVEDI

Address-ARERAJ E CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. 9431053943

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA8550 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA8550	210/2019	19/04/2024	28/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/03/2024	14/06/2024	24/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1097 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR

Father's Name- CHANDRA BHUSHAN SINGH

Address-PAHARPUR PAHARPUR PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845458

Mob. 9771710009

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD6871 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD6871	213/2019	19/04/2024	11/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/02/2024	29/05/2024	28/01/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1098/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR

Father's Name- CHANDRA BHUSHAN SINGH

Address-PAHARPUR PAHARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR 845458

Mob. 9771710009

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD6971 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD6971	212/2019	19/04/2024	11/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/02/2024	24/05/2024	28/01/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1099 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RANDHIR KR SINGH

Father's Name- S/O SHANKAR SINGH

Address-A/P-RAJA BAZAR JEHANABAD VILL-PIRMEKER TOLA

DADANPUR MOKAR SARAN BIHAR 804408

Mob. 6203375510

विषय:- आपके वाहन संख्या BR25A9465 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR25A9465	BR2022-SC-0878A	19/04/2027	18/11/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/09/2023	26/02/2024	17/10/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1100 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUDHIR KISHOR PD SINGH

Father's Name- UMA SHANKAR PD SINGH

Address-SHAMHO SHAMHO BEGUSARAI BIHAR 851129

Mob. 9431817368

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC2625 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PC2625	BR/106/SC/BU S/2019/109	19/12/2024	16/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/04/2024	30/06/2023	06/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1101 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

KRISHANA BAHADUR

Father's Name- JEET BAHADUR

Address-ADD WARD 18 BILASHPUR BILASHAPUR HARINAGAR

PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845103

Mob. 9801501523

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06GF5425** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06GF5425	BR2022-SC-2668A	19/12/2027	15/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	10/04/2024	08/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर** अपने वाहन में **VLTD (Vehicle Location Tracking Device)** स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1102/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

AMAR JOYTI TRAVELS

Father's Name- S/O 00000000

Address-AT EXIBHITION ROAD PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. 9980000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD3651 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD3651	BR/106/SC/143 /2011	19/02/2026	12/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/04/2024	05/07/2023	06/02/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1103 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AMAR JYOTI CARIERS PVT LTD

Father's Name- N/A

Address-UMA MARKET MOTIJHIL MOTIJHIL MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9334907061

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF5451 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF5451	BR/106/SC/177 /2011	19/02/2026	24/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/03/2024	16/02/2025	06/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1104/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

AVINASH KUMAR

Father's Name- S/O- SUBHASH CHANDRA AZAD

Address-AT- LODIPUR NEAR- GORAIYA BABA ASTHAN,MANHGUPUR
PATNA BIHAR 801109

Mob. 9122602417

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PK7646 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PK7646	BR2021-SC-1385A	19/07/2026	16/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	08/01/2025	23/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1105 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

GYAN VARDHAN KUMAR

Father's Name- S/O KUSHESHWAR MISHRA

Address-VILL-BHERIYAH SOTI ANCHAL-KANTI MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9931950581

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA2784** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA2784	BR2021-SC-1384A	19/07/2026	24/10/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2024	13/02/2025	02/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1106/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

KUNDAN KUMAR CHANDAN

Father's Name- S/O LALAN KUMAR CHA

Address-MADHUBAN DHAUMALI RAMNATH KALWARI KANTI

MUZAFFARPUR BIHAR 843108

Mob. 9939234657

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD6955 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD6955	BR2021-SC-1387A	19/07/2026	18/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/09/2022	18/07/2024	15/07/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1107 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NITESH KR.

Father's Name- S/O -SRI KAUSHAL KISHOR SINGH

Address-AT-PO-PS-PAHARPUR PAHARPUR MOTIHARI PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 9504799488

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05P2929 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P2929	00069/2014	19/06/2024	29/12/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/07/2022	28/02/2023	28/06/2021	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1108 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MRS.GEETA DEVI

Father's Name- ANIL KUMAR

Address-KESARIA KESARIA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR
845405

Mob. 9430412550

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P1819 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P1819	00088/2014	19/06/2024	11/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/04/2024	19/06/2020	03/09/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1109 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

DILIP KR SINHA

Father's Name- S/O LT RAJA PRASAD

Address-AT- BAKARGANJ THAKURBARI ROAD PATNA PATNA PATNA
BIHAR 844101

Mob. 7654819189

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31P8125 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR31P8125	BR2021-SC-0667A	19/03/2026	11/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/04/2024	08/02/2025	03/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1110 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AMAR JYOTI CARRIER PVT LTD

Father's Name- N/A PRO AMARNATH PANDEY

Address-UMA MARKET MOTIJEEL MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 999999

Mob. 9334902252

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8351 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8351	BR/SC/106/394 /2011	19/05/2026	25/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/05/2024	12/11/2024	20/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1111 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PUNAM KUMARI ULA/B S R T C

Father's Name- MAHIP KUMAR

Address-MAHMADPUR MDPUR BADAL DAMODAR SAKRA

MUZAFFARPUR BIHAR 800001

Mob. 9006581351

विषय:- आपके वाहन संख्या BR33PA5211 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR33PA5211	BR2022-SC-0898A	20/04/2027	09/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/04/2024	03/01/2025	16/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1112/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SHEET BASANT TRANSCORP PVT LTD

Father's Name- S/O SUMANTH SAURABH

Address-SHEET BASANT FUEL SERVICE NH 28 KANTI KASBA INFRONT
OF MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9938978978

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE2196 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE2196	BR/106/SC/BU S/2019/111	20/12/2024	12/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/02/2024	09/05/2024	08/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1113/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RAMESH KUMAR

Father's Name- VISHWANATH THAKUR

Address-AIRTEL TOWER WARD NO 2 KISHUN NAGAR KANTI

MUZAFFARPUR BIHAR 800001

Mob. 9931694653

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8172 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8172	BR2020-SC-0616A	20/12/2025	11/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/03/2024	18/04/2024	07/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1114/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MAMTA JAISWAL

Father's Name- W/O - SANJAY KUMAR

Address-AT-RAJENDRA NAGAR PS-MOTIHARI MOTIHARI PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 9431093443

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA4786 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA4786	BR2021-SC-3165A	20/12/2026	21/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/03/2024	20/02/2025	24/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1115 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MITHILESH KUMAR

Father's Name- S/O -RAMASHRAY PRASAD

Address-AT-PO-DHUMNAGAR CHAURIYA TOLA PS-JAGDISHPUR

BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. 9113109193

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P8337 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR22P8337	BR2021-SC-3168A	20/12/2026	17/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/12/2022	11/11/2022	11/05/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1116/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

BSRTC

Father's Name- NA

Address-PARIWAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL PATH PATNA

PATNA BIHAR 800001

Mob. 7322936339

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PF0465 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PF0465	BR2023-SC-0316A	20/01/2028	06/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/03/2024	na	28/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1117 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BSRTC

Father's Name- NA

Address-PARIWAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL PATH PATNA

PATNA BIHAR 800001

Mob. 7322936339

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PF1220 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PF1220	BR2023-SC-0314A	20/01/2028	06/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/03/2024	na	28/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1118/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

M/S ANAND TRAVELS

Father's Name- M/S USER ANAND KR SINGH

Address-AT KOLHUA DADAR AHYAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 999999

Mob. 7890000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8309 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8309	138/2006	20/07/2026	27/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/03/2024	02/11/2021	29/12/2021	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे।** आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1119 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

KRISHNDEV PRASAD

Father's Name- S/O -DEVENANDAN PRASAD

Address-KHALRATOLA PAHI VILL-KHALRA-2 ANCHAL-THAKARAHA
BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. 9661012771

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P2343 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P2343	00089/2014	20/06/2024	16/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/04/2024	12/07/2022	03/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1120 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

KUNAL

Father's Name- S/O - SRI JAI PRAKASH PANDEY

Address-AT-HARDIYA PO-ARERAJ MOTIHARI PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845411

Mob. 7717723422

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA0906 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR05PA0906	BR2020-SC-0394A	20/03/2025	09/10/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/10/2021	02/02/2022	18/08/2021	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1121 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AMITESH KUMAR PANDEY

Father's Name- S/O - JAYPRAKASH PANDEY

Address-AT- HARDIYA , ARERAJ EAST CHAMPARAN ,ARERAJ PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. 7004396847

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB1161 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB1161	521/2019	20/09/2024	25/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/09/2023	29/07/2023	28/11/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1122/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

VIJAY KUMAR THAKUR

Father's Name- RAM SAROVAR THAKUR

Address-AT-IMLICHATTI INFRONT OF POST OFFICE PO-HPO PS-
BRAHMPURA MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 7488217551

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD7551 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD7551	BR/106/SC/709 /2010	21/08/2025	05/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/03/2024	23/11/2024	16/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1123 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PRIYANKA

Father's Name- PRUSHOTAM KUMAR GAUTAM

Address-KOLHUA PAIGAMBERPUR AYCHI GRAM AHYAPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 843108

Mob. 9472330004

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF3782 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF3782	BR2023-SC-1501A	21/05/2028	21/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/05/2024	19/04/2024	11/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1124 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

DULARI DEVI

Father's Name- W/O RAM NARESH SINGH

Address-AT PO-CHINTAMANPUR PS-PIPRA EAST CHAMPARAN SARAN
BIHAR 841301

Mob. 9973358430

विषय:- आपके वाहन संख्या BR04M3051 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR04M3051	BR2020-SC-0079A	22/01/2025	08/03/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
30/11/2021	27/11/2021	16/06/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1125 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ARVIND KUMAR

Father's Name- SRI RAM BABU RAY

Address-AT-STATION ROAD DEVI CHAK FATUHA PATNA BIHAR 803201

Mob. 9234068157

विषय:- आपके वाहन संख्या BR21P5950 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR21P5950	BR2020-SC-0080A	22/01/2025	26/07/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2024	11/08/2024	10/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1126/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MUKESH KUMAR

Father's Name- S/O LT.PERMANAND MAHTO

Address-AT+PO- KARHATIYA BUZURG PS-GORAUL VAISHALI VAISHALI
BIHAR 999999

Mob. 9661308591

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31P5809 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR31P5809	BR2020-SC-0084A	22/01/2025	19/02/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/04/2024	11/01/2021	25/03/2020	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1127 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

DAYA NAND KUMAR

Father's Name- RAM PRIT RAY

Address-AT- MAHUA SINGH RAE PO & PS- MAHUA VAISHALI BIHAR
844122

Mob. 9835285283

विषय:- आपके वाहन संख्या BR33PA6533 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR33PA6533	BR/106/SC/281 /2012	22/06/2027	28/06/2025

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/09/2024	03/04/2024	02/04/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1128 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUNNY JAISWAL

Father's Name- SRI ABHINANDAN PD JAISWAL

Address-526 DHAKA RAMCHANDRA DHAKA PURBA CHAMPARAN BIHAR
845418

Mob. 9006380444

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE9096 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE9096	BR2021-SC-2799A	22/11/2026	18/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	03/03/2024	03/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1129 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

NITU DEVI

Father's Name- W/O SUSHIL KUMAR

Address-PAHARPUR MANGURAHA PAHARPUR PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845458

Mob. 6202298448

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA2483 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA2483	525/2019	22/09/2024	25/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
11/03/2024	14/09/2022	17/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1130 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUSHIL KUMAR

Father's Name- S/O UMESH CHANDRA SINGH

Address-PAHARPUR PAHARPUR PAHARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR
845458

Mob. 9199088786

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22P1969 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR22P1969	524/2019	22/09/2024	09/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/04/2024	11/06/2022	09/06/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1131 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAKESH KR JHA

Father's Name- S/O RAGHUNATH JHA

Address-AT NAYA TOLA SPEAKER CHOWK MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 7488287099

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06GC2151** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06GC2151	BR/106/SC/187 /2012	23/04/2027	01/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/04/2024	22/01/2025	18/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1132/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MAHESH RAY

Father's Name- S/O VALESHWAR RAY

Address-VILL BARADIHA TURKI ANCHAL- PATEPUR HAZIPUR

VAISHALI VAISHALI BIHAR 999999

Mob. 9980000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB0285 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PB0285	BR/106/SC/143 /2012	23/03/2027	24/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/08/2023	20/02/2024	25/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1133 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAM DINESH SINGH

Father's Name- S/O LATE CHANDESHWAR SINGH

Address-VILL PO CHAHUTA PS AAURAI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 842001

Mob. 9525474566

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8745 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8745	BR2023-SC-1527A	23/05/2028	14/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
08/05/2024	13/12/2024	23/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1134/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

PRABHANJAN KUMAR THAKUR

Father's Name- S/O CHANDRA SHEKHAR THAKUR

Address-BHAWANIPUR ZIRAT MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR
845401

Mob. 9973434796

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PA8721** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA8721	417/2019	23/09/2024	27/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	26/08/2024	18/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1135 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SMT.GITA DEVI

Father's Name- W/O ANIL KUMAR

Address-KESHARIYA KESHARIYA E.CHAMPARAN PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. 9430412550

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P0936 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P0936	538/2019	23/09/2024	17/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/02/2024	13/03/2022	03/09/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1136/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SMT.GEETA DEVI

Father's Name- ANIL KUMAR

Address-KESARIA KESARIA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR
845405

Mob. 9430412550

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P5608 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5608	536/2019	23/09/2024	03/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/02/2023	30/03/2023	14/09/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1137 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

HUSNA ARA

Father's Name- MUNNA ANSARI

Address-ADD WARD NO 19 BANGRA SUGAULI PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845456

Mob. 8809454002

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE7329 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7329	BR2021-SC-0332A	24/02/2026	30/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/04/2023	15/01/2023	24/01/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1138/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

AMAN BAGLA

Father's Name- AJAY KUMAR BAGLA

Address-OLD EXCHANGE ROAD WARD NO 10 CHAKMAHILA SITAMARHI
BIHAR 843302

Mob. 9431845049

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE9966 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE9966	BR2021-SC-0331A	24/02/2026	10/11/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
07/05/2024	18/11/2024	09/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1139 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BSRTC

Father's Name- NA

Address-AT-PARIWAHAN BHAWAN BEERCHAND PATEL PATH PATNA
PATNA BIHAR 800001

Mob. 7766865601

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PF7647 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PF7647	BR2023-SC-0343A	24/01/2028	06/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/03/2024	na	05/07/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1140 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

Address-AT PARIWAHAN BHAWAN BIR CHAND PATEL PATH PATNA
PATNA BIHAR 800001

Mob. 7322936339

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PH3304 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH3304	BR2023-SC-0342A	24/01/2028	23/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/03/2024	na	27/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1141 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

Address-PARIVAHAN BHAWAN BIRCHAND PATEL PATH PATNA PATNA
BIHAR 800001

Mob. 7322936339

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PH3551 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH3551	BR2023-SC-0341A	24/01/2028	23/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/06/2024	na	28/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1142/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

Address-BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA PATNA
BIHAR 800001

Mob. 8789260966

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PH4320 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4320	BR2023-SC-0345A	24/01/2028	26/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	na	06/07/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1143 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BUIDCO

Father's Name- NA

Address-AT BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA
PATNA BIHAR 800001

Mob. 8789260966

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PH4322 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PH4322	BR2023-SC-0344A	24/01/2028	26/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	na	06/07/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1144/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

HARI BANSH NARAYAN SINGH

Father's Name- S/O -RAM SEWAK SINGH

Address-AT-BRAHAMPURA PO-MIT PS-MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
ROHTAS BIHAR 821115

Mob. 9798076608

विषय:- आपके वाहन संख्या BR24P3102 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR24P3102	BR2021-SC-0692A	24/03/2026	25/04/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
14/04/2024	15/03/2022	18/04/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1145 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

HABIBUR RAHMAN

Father's Name- MOTIUR RAHMAN

Address-WARD NO 04 KATHAMALIYA DHAKA PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845418

Mob. 9934848061

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8007 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8007	BR2022-SC-2520A	24/11/2027	25/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/05/2024	17/02/2025	21/11/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1146/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SMT.VINITA DEVI

Father's Name- MANOJ KUMAR

Address-HN-157 PAHADPUR PAHADPUR E.CHAMPARAN PURBA

CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. 7800000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P4227 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4227	BR2021-SC-0347A	25/02/2026	14/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/04/2024	09/06/2021	08/04/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1147 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ASHA DEVI

Father's Name- ANIRUDH PRASAD

Address-BHAGWANPUR ZIRAT MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR
845401

Mob. 9973359766

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8696 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE8696	BR2021-SC-0345A	25/02/2026	18/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	12/03/2024	17/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1148/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

M/S ANAND TREVELS

Father's Name- M/D ANAND KR.SINGH

Address-KOLHUA DADAR AHYAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 999999

Mob. 0

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P1966 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P1966	0128/2009	25/05/2024	17/05/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/04/2021	10/09/2019	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1149 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

DHIRENDRA KUMAR SINGH

Father's Name- S/O-YUGAL KISHOR SINGH

Address-AT-PARAS PAKARI CHANAINBANDH, WEST

CHAMPARAN,MAJHAULIA PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845454

Mob. 8757021411

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PB1780 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB1780	BR2022-SC-1185A	25/05/2027	28/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/03/2024	18/09/2023	18/11/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1150 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR

Father's Name- CHANDRA BHUSHAN SINGH

Address-PAHARPUR PAHARPUR PURBA CHAMPARAN BIHAR 845458

Mob. 9771710009

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD7271 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD7271	BR/106/SC/BU S/2019/117	26/12/2024	20/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/02/2024	30/07/2024	03/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1151 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAMEKWAL RAI

Father's Name- SIGESHBAR RAI

Address-BHARAULIA BHARAULIA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 999999

Mob. 7890000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P5587 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5587	0273/2009	26/07/2024	20/02/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/05/2024	05/06/2020	10/08/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1152/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

PRAKASH KUMAR

Father's Name- RAJESHWAR PRASAD RAKESH

Address-NARAYANPUR DEDHPURA PS MAHANAR VAISHALI BIHAR
844505

Mob. 9334902252

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA7163 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PA7163	BR2021-SC-1543A	26/07/2026	19/07/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/04/2024	28/09/2021	06/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1153 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

GEETA DEVI

Father's Name- W/O SATRUDHAN THAKUR

Address-AT-MADHAUL PO-SUSTA PS-KUDHANI MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 8998000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA8640 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA8640	00111/2014	26/06/2024	17/11/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2024	22/06/2020	01/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1154/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

NEELAM KUMARI

Father's Name- W/O AJIT KUMAR JHA

Address-JAGESHWAR BHAWAN SITAMARHI SITAMARHI SITAMARHI
BIHAR 843302

Mob. 9939061618

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30B6197 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30B6197	0105/2014	26/06/2024	13/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
16/02/2024	05/10/2021	28/12/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1155 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

MAHIP KUMAR

Father's Name- LATE RAM NARAYAN SINGH

Address-MAHMADPUR DAMODAR SAKRA BADAL MUZAFFARPUR BIHAR
800001

Mob. 9006581351

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE4511 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE4511	BR2021-SC-0707A	26/03/2026	19/07/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
19/04/2024	18/07/2024	30/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1156/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RAKESH KR JHA

Father's Name- S/O RAGHUNATH JHA

Address-AT NAYA TOLA SPEAKAR CHOWK MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 7488287099

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC9651 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC9651	BR2021-SC-2087A	26/09/2026	02/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
06/05/2024	10/03/2024	19/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1157 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHATRUGHAN PRASAD YADAV

Father's Name- S/O MAHANTH CHAUDHARY

Address-AT BADHEYA TOLA AUDANPATTI PO BADHEYA PS MIRGANJ
GOPALGANJ BIHAR 841436

Mob. 9939939395

विषय:- आपके वाहन संख्या BR28B9591 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR28B9591	BR2021-SC-2080A	26/09/2026	18/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/02/2024	18/02/2024	29/07/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1158/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

AMAR JYOTI CARRIES PVT LTD

Father's Name- NA

Address-PANDEY PLAZA EXHIBITION ROAD PATNA BIHAR 800001

Mob. 9572016251

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9751 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD9751	BR2022-SC-1005A	27/04/2027	14/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	26/02/2024	16/02/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1159 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SANJAY KUMAR SINGH

Father's Name- JAGANNATH PRASAD SINGH

Address-KIRISHNA COMPLEX WARD NO9 BARA CHAKIYA BARA CHAKIA
EAST CHAMPARAM PURBA CHAMPARAN BIHAR 855412

Mob. 9939411096

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF9196 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF9196	BR2023-SC-0360A	27/01/2028	24/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
22/06/2024	08/03/2024	25/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1160 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

M/S ALOK TRAVELS

Father's Name- S/O C/O-PROP ALOK KUMAR SINGH

Address-N H 77 KOLHUA DADAR AHIYAPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 8989000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD1116 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD1116	BR2021-SC-0095A	28/01/2026	18/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/05/2022	09/06/2022	08/09/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1161 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AJAY KUMAR

Father's Name- S/O DEO NANDAN PRASAD SINGH

Address-64E, RAJENDRA NAGAR PATNA PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. 9436986578

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PB6321 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PB6321	BR2021-SC-1585A	28/07/2026	21/12/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
28/03/2024	24/01/2022	19/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1162/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

SHYAM BIHARI

Father's Name- S/O MAHENDRA NR CHOUDHARY

Address-AT 121 T/V KHARAUNADIH ANCHAL KURHANI MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9934426820

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB9939 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB9939	0114/2014	28/06/2024	01/07/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2020	19/07/2019	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1163 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AWADHESHKUMAR

Father's Name- NAND KISHORE SINGH

Address-KRISHNAPURI ASHIRVAD BHAWAN BHAGWANPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9935224877

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB6896 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB6896	0150/2009	28/05/2024	11/10/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
04/04/2024	08/10/2019	04/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1164/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

MINU SINGH

Father's Name- W/O LT. PREM NATH SINGH

Address-AT+PS-MIRGANJ DIST-GOPALGANJ GOPALGANJ GOPALGANJ
BIHAR 841428

Mob. 8292992434

विषय:- आपके वाहन संख्या BR28C2151 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28C2151	548/2019	28/09/2024	31/08/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/12/2021	05/07/2020	27/02/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1165 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

VIJAY KUMAR

Father's Name- KISHORI LAL

Address-GRAM POST PS RAMGARHWA EAST CHAMPARAN

MUZAFFARPUR BIHAR 845433

Mob. 7488364331

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD8625 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD8625	BR2020-SC-0507A	28/09/2025	25/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/04/2024	23/08/2024	07/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1166/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

DILIP KUMAR SINGH

Father's Name- RAVINDRA SINGH

Address-VILL- DHABDHABWA PO- GAMAHRIYA KHURD PS- ADAPUR
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845301

Mob. 7903654495

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05P5212 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR05P5212	BR2022-SC-1052A	29/04/2027	25/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
12/04/2024	28/09/2022	03/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1167 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

GANESH KUMAR

Father's Name- S/O MOHAN PRASAD

Address-RAJENDRA NAGAR MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR

845401

Mob. 9431093443

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9686 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD9686	BR2022-SC-1045A	29/04/2027	23/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/08/2024	30/07/2024	05/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1168/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RAMESH KUMAR

Father's Name- VISHWA NATH THAKUR

Address- WARD NO 02 AIRTEL TOWER KISHUNNAGAR, KANTI

MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. 9931694653

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF3740 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PF3740	BR2023-SC-1834A	29/06/2028	22/06/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/03/2024	21/06/2024	07/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1169 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAM JATAN SINGH

Father's Name- S/O RAM LAKHAN SINGH

Address-CHAK KANCHANPUR RAMPUR BIDUPUR VAISHALI VAISHALI
BIHAR 844101

Mob. 9561028582

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P2086 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P2086	BR2021-SC-2917A	29/11/2026	20/09/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/02/2024	12/07/2023	08/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1170 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BSRTC

Father's Name- NA

Address-AT BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA
PATNA BIHAR 800001

Mob. 7079326300

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PH4318** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4318	BR2022-SC-2545A	29/11/2027	26/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	NA	05/07/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1171 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BSRTC

Father's Name- NA

Address-AT BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA
PATNA BIHAR 800001

Mob. 7546910865

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PH4321** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4321	BR2022-SC-2549A	29/11/2027	26/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	NA	06/07/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1172/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

BSRTC

Father's Name- NA

Address-VEER CHAND PATEL PATHA PARIVAHAN BHAWAN PATNA
PATNA BIHAR 800001

Mob. 7079326300

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PH4332** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PH4332	BR2022-SC-2547A	29/11/2027	29/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	NA	05/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1173 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BSRTC

Father's Name- NA

Address-BIRCHAND PATEL PATH PARIWAHAN BHAWAN PATNA PATNA
BIHAR 800001

Mob. 7079326300

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PH4367** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PH4367	BR2022-SC-2546A	29/11/2027	29/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/04/2024	NA	05/07/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर** अपने वाहन में **VLTD (Vehicle Location Tracking Device)** स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1174/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RADHE SHYAM TIWARI

Father's Name- VISHWANATH TIWARI

Address-JAY PRAKASH NAGAR CHANDWARA TOWN MUZAFFARPUR
BIHAR 842001

Mob. 7890000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P2653 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P2653	564/2019	29/09/2024	21/07/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
20/03/2023	04/04/2022	27/01/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1175 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

DINESHWAR SINGH

Father's Name- S/O SARYUG SINGH

Address-VILL- VALMIKI NAGAR .ANCHAL- BAGHA-2 BETIAH WEST
CHAMPARAN PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. 9122459398

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA5445 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA5445	BR2021-SC-1914A	30/08/2026	13/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	11/01/2023	14/01/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1176/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

VINITA DEVI

Father's Name- W/O - MANOJ KUMAR

Address-AT-PO-PS- PAHARPUR DIST- EAST CHAMPARAN MOTIHARI

PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 8851990734

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05P4575 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P4575	BR/106/SC/BU S/2019/125	30/12/2024	23/05/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
15/03/2024	05/02/2025	08/02/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1177 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AWADHESH KUMAR

Father's Name- NAND KISHORE SINGH

Address-KRISHNAPURI BHAGWANP SADAR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 8899000000

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06E9696 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06E9696	225/2019	30/05/2024	09/01/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/05/2024	16/10/2019	03/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1178/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

AMAR JYOTI CARRIER PVT LTD

Father's Name- N/A PRO AMARNATH PANDEY

Address-AT UMA MARKET MOTIJEEL MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 999999

Mob. 9334902252

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8251 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8251	BR/SC/106/415 /2011	30/05/2026	25/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
10/05/2024	29/10/2024	14/08/2025	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1179 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

BIRENDRA PRASAD

Father's Name- S/O SITA RAM PRASAD

Address-VILL PARAS NAGAR PO PS BAGAHA W CHAMPARAN PASHCHIM
CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. 9771915145

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC7994 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC7994	BR2023-SC-1566A	30/05/2028	22/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/03/2024	15/03/2024	18/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1180 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

PANKES RANJAN

Father's Name- P.K.MISHRA

Address-RASULPUR ZILANI KAZIMOHAMDPUR MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 0

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06F0666 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06F0666	000188/2014	30/09/2024	14/11/2019

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/11/2019	28/02/2019	09/03/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1181 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

CHANDESHWAR PATHAK

Father's Name- YADUNANDAN PATHAK

Address-KESHARIA PS KESHARIA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. 9430253400

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P3025 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P3025	562/2019	30/09/2024	24/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
27/09/2022	24/03/2022	28/12/2021	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1182/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RANJAY KUMAR TIWARI

Father's Name- RAM NARESH TIWARI

Address-ALAPUR MAJHAGARH GOPALGANJ BIHAR 841412

Mob. 9430400096

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA0150 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PA0150	563/2019	30/09/2024	18/07/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
25/07/2022	29/06/2022	08/09/2022	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1183 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

GEETA DEVI

Father's Name- W/O ANIL KUMAR GUPTA

Address-VILL- KESARIYA .PO- KESARIYA E CHAMPARAN E CHAMPARAN
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. 9162066951

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA6048 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA6048	572/2019	30/09/2024	23/03/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
17/04/2024	04/08/2023	09/08/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1184/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

DUSYANT KUMAR

Father's Name- S/O LT DILIP KUMAR SINGH

Address-AT 307 T/V KHAIRVA SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 999999

Mob. 8804442035

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8751 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC8751	000185/2014	30/09/2024	07/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
01/03/2024	27/09/2022	03/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट Free कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1185 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

RAJESH CHAUDHARY

Father's Name- S/O CHANDRIKA CHAUDHARY

Address-AT-TURKAHA

PO+PS+DIST-GOPALGANJ

GOPALGANJ

BIHAR 999999

Mob. 9430253400

विषय:- आपके वाहन संख्या BR28A4971 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28A4971	570/2019	30/09/2024	23/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
31/03/2024	16/03/2022	13/01/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1186 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

GIVO DEVI

Father's Name- W/O AJAY PANDEY

Address-SHYAMPUR, SHAMPUR EAST CHAMPARAN CHAMPARAN
PURBA CHAMPARAN BIHAR 845301

Mob. 8002419496

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE8098 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PE8098	BR2021-SC-0121A	31/01/2026	25/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
26/05/2024	01/03/2024	02/05/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1187 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHEET BASANT TRANSPORT PVT LTD

Father's Name- NA

Address-DIRECTOR- SUMANT SAURABH AT- SHEET BASANT FUEL STATION NH- 28 KANTI KARBA INFRONT OF TERMAL POWER KANTI MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. 8294619996

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31PA9596** में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR31PA9596	BR2021-SC-0116A	31/01/2026	01/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
13/03/2024	05/03/2024	07/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में **VLTD** स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1188 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

ROHIT KUMAR

Father's Name- S/O RAM KRIPAL SINGH

Address-AT-10 ROHIT BUS SERVICE DAMU CHOWK NEAR RAILAY LINE
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. 9835696985

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA8691 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31PA8691	070/2008	31/03/2028	14/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
05/04/2024	19/03/2024	03/10/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1189 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SURESH KUMAR

Father's Name- RAM KISHOR PRASAD YADAV

Address-CHAKMAHILA SITAMARHI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR

843302

Mob. 7004341523

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30P1132 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR30P1132	BR2020-SC-0397A	05/05/2025	28/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
21/02/2024	14/01/2025	08/09/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1190 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SHEET BASANT TRANSPORT PVT LTD

Father's Name- SUMANTH SAURABH

Address-BHERIYAHISOTI HARDASPUR MUZAFFARPUR BIHAR 843109

Mob. 8294619996

विषय:- आपके वाहन संख्या BR01PH5670 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR01PH5670	BR2023-SC-0076A	08/01/2028	16/01/2026

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
29/03/2024	26/03/2024	30/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1191 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

SUMUKH SAURABH

Father's Name- KAILASH MISHRA

Address-ALKAPURI,BHAGWANPUR SADAR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 8294619996

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P5796 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06P5796	BR/106/SC/BU S/2019/37	10/12/2024	17/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
18/03/2024	10/10/2024	26/06/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1192/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09/03/2024

प्रेषित,

RAJNISH PANDEY

Father's Name- NAVAL PANDEY

Address-AT LAURIYA PO LAURIYA PS GOVINDGANJ PURBA

CHAMPARAN BIHAR 845411

Mob. 9199088786

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05P9601 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P9601	BR2022-SC-2406A	10/11/2027	14/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
02/05/2024	13/01/2024	26/12/2023	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 1193 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 09 / 03 / 2024

प्रेषित,

AMAR JYOTI AUTO PVT LTD

Father's Name- M/S DIR. AMAR NATH PANDEY

Address-THUHMA NEAR AKRAHANPUL PS KURHANI MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. 9993331122

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PB4851 में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं रहने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित सभी बैठकों में सभी वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए परमिट से आवृत सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय करने हेतु निदेशित किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र-दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 के अंक में तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, इसके बावजूद आपके द्वारा अपने वाहन में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PB4851	BR2020-SC-0376A	18/03/2025	19/10/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C. की वैधता	V.L.T.D. की वैधता
23/02/2024	29/10/2024	13/07/2024	Not Installed

व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराने का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना तथा यात्रियों विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत आपको निदेशित किया जाता है कि **15 दिनों के अंदर अपने वाहन में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें**, अन्यथा आपके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द करते हुए टाईम स्लॉट **Free** कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी नये आवेदक प्राप्त कर सकेंगे। आपका इस आवंटित टाईम स्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

09/03/24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।